



MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited

Reg. Office :- Road No-01s ,Van Vrindavan Colony, Chirondi, Morabadi, Ranchi, Jharkhand, 834006
Cor. Off- Lal Nikatan, C.P. Thakur Path, Professor Colony, Shivpuri , Aatal Path, Patna, Bihar-800023
Website- <https://mandimitra.com/> , e-mail- mandimitraa@gmail.com, Helpline- 8986661888, 9430138062
Under Registered - Government Of India Ministry Of Micro, Small & Medium Enterprises
Government of India Ministry Of Corporate Affairs under the Company act 2013 (18 of 2013)
CIN NO- U01111JH2024PTC021920 MSME- UDYAM-JH-20-0003250

LETTER NO - 04 / MM/ 2026-2027

नियुक्ति विज्ञापन संख्या - 02 / 2026

DATE- 10/04/2026

-: Request For Job Proposals :-

मंडी मित्र प्रौद्योगिकी आधारित किसानों का बाज़ार है। मंडी मित्र 15 जनवरी 2019 से बिहार और झारखंड में कार्यरत है, जिसमें मंडी मित्र मंच के माध्यम से प्रौद्योगिकी आधारित एक छत के नीचे सभी कृषि जरूरतों को सुलभ और सस्ती तरीके से किसानों के जैविक एवम आधुनिक कृषि के लिए की जाने वाली कृषि कार्य / कृषि व्यवसाय (कृषि, बागवानी, पशुपालन, कुकुटपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, आयुर्वेद फसल की उपज) में उनके सामान्य केंद्र भूत आवश्यकता (मिट्टी जाँच, कृषि सलाह, खाद, दवा, बीज, फसल का बाजार भाव, मौसम की जानकारी, फसल में लगने वाले बीमारी की जाँच, कृषि औजार, ऋण, बीमा, बैंकिंग सुविधा, प्रशिक्षण, मजदूर की समस्याएं इत्यादी) एवं दूसरी तरफ किसानों के फसल की उपज (अनाज, फल एवम सब्जी, दालें, मसाले और औषधीय जड़ी बूटी) को उचित मूल्य पर बिक्री करने के लिए उन्हें संस्थागत खरीदारों की भी सुविधा उपलब्ध कराती है।

साथ ही साथ मंडी मित्र किसानों की खेती में लगने वाले लगत को घटाते हुए उसकी आय को कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए हर संभव सहयोग करती है। जिससे किसानों का आर्थिक सामाजिक एवं नैतिक विकास हो सके।

संस्थान राज्य के ग्रामीण इलाकों (ग्राम पंचायत स्तर) में किसान परिवारों के साथ कार्य करते हुए उनकी आजीविका मजबूत करने के उद्देश्य के साथ प्रयत्नशील है।

संस्थान अपने बहु उद्देश्य योजना को सभी किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों के लिए मंडी (किसान सहायता केंद्र) की स्थापना कर रही है।

जिससे जुड़ कर किसान परिवार अपना सभी कृषि जरूरतों को सुलभ और सस्ती तरीके से एक छत के नीचे प्राप्त कर आर्थिक सामाजिक एवं नैतिक विकास कर रहे हैं।

इसके लिए संस्थान जिला और प्रखंड इकाइयों में सहायक स्तर के पदों पर सविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु बिहार के (सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया) जिले में कुल 510 पदों पर कार्य हेतु अनुबंध पर निम्नलिखित पदों पर योग्य स्थानीय महिलाएं / पुरुषों से संस्थान आवेदन आमंत्रित करती है। चयनित व्यक्ति अपने ग्राम पंचायत / प्रखंड / जिला में योगदान देकर कार्य को संपादित करेंगे।

चयनित अभ्यर्थी का कार्य अपने कार्यक्षेत्र में प्रगतिशील किसानों का चयन करना और संस्थान द्वारा दिए कृषि उत्पाद एवं सुविधा को किसानों तक पहुंचाना है।

1. कंपनी के द्वारा कंपनी में कार्य कर रहे किसी भी सलाहकार किसी भी पद पर कार्य कर रहे कर्मचारी से किसी भी प्रकार का समान जैसे कोई दवा, बीज, खाद, या किसी भी उत्पाद सेवा का डायरेक्ट सेल नहीं करवती है सलाहकार का कार्य सिर्फ किसानों के जरूरी उत्पाद सेवा का डिमांड को कंपनी या कंपनी से जुड़े हुए किसान सहायता केंद्र तक बताना और उत्पाद को किसान तक पहुंचाना है
2. किसान के प्रयोग का कोई समान (जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, खनिज, कृषि उपकरण, नर्सरी प्लांट, ट्रैक्टर, वर्मी कंपोस्ट, अन्य कोई उत्पाद/सेवा) आया है तो उनके बारे में किसान को बताना है किसान समान की खरीदारी के लिए किसान सहायता केंद्र से खरीदेंगे
3. सलाहकार खुद से सिर्फ किसानों का मिट्टी जांच करवाएंगे और उनको किसान क्लब कार्ड उपलब्ध करेंगे

वर्तमान में MandiMitra Agriculture Digital Solution And

Trading Private Limited की जिला / प्रखंड इकाइयों के सहायक स्तर के कार्यों हेतु सविदा

आधारित विभिन्न रिक्त पदों पर राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित नियुक्ति नियमावली के आधार पर इच्छुक और योग्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से निम्न विवरणानुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं

Ankif Kumar

Dr. Anil Kr Singh
Mandi Mitra Agriculture Digital
Solution And Trading Private Limited



बिहार के जिला वार आवेदित पदों की सूची

क्र	स्तर	पदनाम	पद	न्यूनतम शैक्षणिक/ तकनीकी योग्यता/ आयु सीमा (अनिवार्य शर्तें एवं आवेदन स्वीकृत / अस्वीकृत का प्रमुख आधार)	कार्यानुभव (अनिवार्य शर्तें एवं आवेदन स्वीकृत / अस्वीकृत का प्रमुख आधार)	निर्धारित पारिश्रमिक / मानदेय राशि (अनिवार्य शर्तें एवं आवेदन स्वीकृत / अस्वीकृत का प्रमुख आधार)
1	L-3	रिजिनल परियोजना प्रबंधक (Regional Project manager) (RPM)	1	सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मार्केटिंग / फाइनेंस / इकोनॉमिक्स / एग्री बिजनेस) में 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एवं मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ अंग्रेजी टंकण दक्षता आयु सीमा – 25 से 40 वर्ष	शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के उपरांत कम से कम 2 वर्ष का पूर्णकालिक प्रासंगिक कार्य अनुभव पद के अनुरूप प्रासंगिक कार्य अनुभव जो किसी बड़े संबंधित परियोजना कार्यक्रम जिसका क्रियान्वयन सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाओं / प्रतिष्ठित एनजीओ / कृषि संस्थान / एफएमसीजी मार्केटिंग संस्थान/ बीमा संस्थान / फाइनेंस संस्थान या किसी प्रासंगिक संस्थान में	प्रारंभिक 6 माह के प्रशिक्षण अवधि के दौरान रु. 30000/- प्रतिमाह (5000 रुपये प्रतिमाह के यात्रा भत्ता+ बोनस + प्रोत्साहन - अतिरिक्त होगा) Note- 6 माह के प्रशिक्षण अवधि उपरांत कार्य मूल्यांकन में सफल पाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited के मानव संसाधन नियमावली के अनुसार लागू होंगे
2	L-4	जिला परियोजना प्रबंधक (District Project Manager) (DPM)	5	सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से किसी भी विषय में स्नातक या उससे ऊपर की डिग्री / कृषि और संबद्ध प्रबंधन (बागवानी, पशुधन, मत्स्य और वानिकी) / कृषि-व्यवसाय / कृषि इंजीनियरिंग में सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / शैक्षणिक संस्थान से स्नातक एवं मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ अंग्रेजी टंकण दक्षता आयु सीमा – 30 से 40 वर्ष	शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के उपरांत कम से कम 2 वर्ष का पूर्णकालिक प्रासंगिक कार्य अनुभव पद के अनुरूप प्रासंगिक कार्य अनुभव जो किसी बड़े संबंधित परियोजना कार्यक्रम जिसका क्रियान्वयन सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाओं / प्रतिष्ठित एनजीओ / कृषि संस्थान / एफएमसीजी मार्केटिंग संस्थान/ बीमा संस्थान / फाइनेंस संस्थान या किसी प्रासंगिक संस्थान	प्रारंभिक 6 माह के प्रशिक्षण अवधि के दौरान रु. 25000/- प्रतिमाह (5000 रुपये प्रतिमाह के यात्रा भत्ता+ बोनस + प्रोत्साहन - अतिरिक्त होगा) Note- 6 माह के प्रशिक्षण अवधि उपरांत कार्य मूल्यांकन में सफल पाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited के मानव संसाधन नियमावली के अनुसार लागू होंगे
3	L-4	क्लस्टर परियोजना ऑफिसर (Cluster Program Officer) (CPO)	10	सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से किसी भी विषय में स्नातक या उससे ऊपर की डिग्री / कृषि और संबद्ध प्रबंधन (बागवानी, पशुधन, मत्स्य और वानिकी) / कृषि-व्यवसाय / कृषि इंजीनियरिंग में सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / शैक्षणिक संस्थान से स्नातक एवं मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ अंग्रेजी टंकण दक्षता आयु सीमा – 30 से 40 वर्ष	शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के उपरांत कम से कम 2 वर्ष का पूर्णकालिक प्रासंगिक कार्य अनुभव पद के अनुरूप प्रासंगिक कार्य अनुभव जो किसी बड़े संबंधित परियोजना कार्यक्रम जिसका क्रियान्वयन सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाओं / प्रतिष्ठित एनजीओ / कृषि संस्थान / एफएमसीजी मार्केटिंग संस्थान/ बीमा संस्थान / फाइनेंस संस्थान या किसी प्रासंगिक संस्थान	प्रारंभिक 6 माह के प्रशिक्षण अवधि के दौरान रु. 20,000/- प्रतिमाह (5000 रुपये प्रतिमाह के यात्रा भत्ता+ बोनस + प्रोत्साहन - अतिरिक्त होगा) Note- 6 माह के प्रशिक्षण अवधि उपरांत कार्य मूल्यांकन में सफल पाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited के मानव संसाधन नियमावली के अनुसार लागू होंगे



4	L-5	<p>प्रखंड परियोजना प्रबंधक (Block Project Manager)</p> <p>(BPM)</p>	60	<p>सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से किसी भी विषय में स्नातक या उससे ऊपर की डिग्री एवं मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ अंग्रेजी टंकण दक्षता एवं आयु सीमा – 25 से 40 वर्ष</p>	<p>शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के उपरांत कम से कम 1 वर्ष का पूर्णकालिक प्रासंगिक कार्य अनुभव पद के अनुरूप प्रासंगिक कार्य अनुभव जो किसी बड़े संबंधित परियोजना कार्यक्रम जिसका क्रियान्वयन सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाओं / प्रतिष्ठित एनजीओ / कृषि संस्थान / एफएमसीजी मार्केटिंग संस्थान/ बीमा संस्थान / फाइनेंस संस्थान या किसी प्रासंगिक संस्थान</p>	<p>प्रारंभिक 6 माह के प्रशिक्षण अवधि के दौरान रु. 18500/- प्रतिमाह (2500 रुपये प्रतिमाह के यात्रा भत्ता+ बोनस + प्रोत्साहन - अतिरिक्त होगा)</p> <p>Note- 6 माह के प्रशिक्षण अवधि उपरांत कार्य मूल्यांकन में सफल पाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited केमानव संसाधन नियमावली के अनुसार लागू होंगे</p>
5	L-6	<p>एडमिन सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर</p> <p>(Admin Assistant Cum Computer Operator)</p> <p>(AACO)</p>	5	<p>सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से किसी भी विषय में स्नातक या उससे ऊपर की डिग्री, एवं मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य एवं आयु सीमा – 21 से 30 वर्ष</p>	<p>शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के उपरांत कम से कम 6 महीने का प्रतिष्ठित संस्थान में कंप्यूटर ऑपरेटर कम अकाउंट असिस्टेंट का कार्य अनुभव</p> <p>(सर्टिफिकेटकी जरूरत नहीं है)</p>	<p>प्रारंभिक 6 माह के प्रशिक्षण अवधि के दौरान रु. 13500/- प्रतिमाह</p> <p>Note- 6 माह के प्रशिक्षण अवधि उपरांत कार्य मूल्यांकन में सफल पाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited केमानव संसाधन नियमावली के अनुसार लागू होंगे</p>
6	L-6	<p>मंडी मित्र सलाहकार</p> <p>सह प्रशिक्षण केंद्र संचालक</p> <p>(ग्राम पंचायत स्तर)</p> <p>(Mandi Mitra Salahkar)</p> <p>(MMS)</p>	419	<p>सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से न्यूनतम मैट्रिक या उससे ऊपर की डिग्री</p> <p>50 % पद सिर्फ महिला के लिए आरक्षित है।</p> <p>एवं आयु सीमा – 25 से 50 वर्ष</p>	<p>न्यूनतम मैट्रिक कृषि / समुदाय/ महिला ग्राम संगठन आधारित संगठन के क्षेत्र में काम करने वाले अनुभवी पेशेवर महिला / पुरुष को प्राथमिकता दी जाएगी</p> <p>स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के साथ काम करने के पूर्व अनुभवी को प्राथमिकता दी जाएगी।</p> <p>(अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है अगर है तो 20% मार्क अधिक मिलेगा)</p>	<p>प्रारंभिक 6 माह के प्रशिक्षण अवधि के दौरान रु. 12500/- प्रतिमाह (2000 रुपये प्रतिमाह के यात्रा भत्ता+ बोनस + प्रोत्साहन - अतिरिक्त होगा)</p> <p>Note- 6 माह के प्रशिक्षण अवधि उपरांत कार्य मूल्यांकन में सफल पाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited केमानव संसाधन नियमावली के अनुसार लागू होंगे</p>
7	L-6	<p>एडमिन असिस्टेंट सह ऑफिस असिस्टेंट</p> <p>(Admin Assistant Cum Office Assistant)</p> <p>(AAOA)</p>	10	<p>सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से किसी भी विषय में इंटरमीडिएट या उससे ऊपर की डिग्री, एवं मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य एवं आयु सीमा – 21 से 30 वर्ष</p>	<p>प्रतिष्ठित संस्थानों या गैर सरकारी संगठन में कार्यालय के रिकॉर्ड, पत्र और बैंक से संबंधित कार्यों को संभालने के 6 महीने का (डिग्री प्राप्त के बाद अनुभव) का कार्य अनुभव।</p> <p>(सर्टिफिकेटकी जरूरत नहीं है)</p>	<p>प्रारंभिक 6 माह के प्रशिक्षण अवधि के दौरान रु. 13500/- प्रतिमाह (बोनस + प्रोत्साहन - अतिरिक्त होगा)</p> <p>Note- 6 माह के प्रशिक्षण अवधि उपरांत कार्य मूल्यांकन में सफल पाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited केमानव संसाधन नियमावली के अनुसार लागू होंगे</p>

Ankit Kumar

Director
Mandi Mitra Agriculture Digital
Solution And Trading Private Limited

Amit Kr Singh
Mandi Mitra Agriculture Digital
Solution And Trading Private Limited

विज्ञापित संबंधित पदों हेतु आयु सीमा आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए एवं अधिकतम निम्नानुसार

क्र. सं.	श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा	संबंधित श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिए
1	अनारक्षित	45	50
2	पिछड़ा/अत्यंतपिछड़ा वर्ग	45	50
3	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा एवं अत्यंतपिछड़ा वर्ग)	50	50
4	अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति (महिला पुरुष)	50	50

बिहार के जिला वार आवेदित पदों की सूची

SL	DIVISION	DISTRICT	RPM	DPM	CPO	AACO	AAOA	BPM	MMS	TOTAL
1	KOSHI	SAHARSHA		1	2	1	2	10	70	86
2		SUPOUL		1	2	1	2	11	77	94
3		MADHEPURA	1	1	2	1	2	13	90	110
4	PURNIA	PURNIA		1	2	1	2	14	98	118
5		ARARIA		1	2	1	2	12	84	102
		TOTAL	1	5	10	5	10	60	419	510
SL	DIVISION	DISTRICT	RPM	DPM	CPO	AACO	AAOA	BPM	MMS	TOTAL

नियम, शर्तें एवं चयन प्रक्रिया

- उपरोक्त वर्णित सभी रिक्तियां बिहार राज्य सरकार के जिला स्तरीय आदर्श आरक्षण नियमों से आच्छादित होंगे। उपरोक्त कोटिवार वर्णित रिक्त पदों में दिव्यांग एवं महिला हेतु क्षेत्रीय आरक्षण वर्तमान में राज्य सरकार की आरक्षण निति के अनुरूप मान्य नियमावली के अनुसार होगी। आरक्षण का लाभ राज्य के स्थानीय निवासी को ही दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। इसे प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में पात्रता रद्द कर दी जाएगी। उपरोक्त वर्णित सभी पदों हेतु बिहार राज्य के स्थानीय निवासी ही योग्य होंगे।



2. उपरोक्त वर्णित पदों हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव, जिला स्तरीय आदर्श आरक्षण नियमानुसार कोटिवार आयु सीमा तथा वेतनमान का विवरण संबंधित विज्ञापन की मार्गदर्शिका के अंतर्गत **MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited** की आधिकारिक वेबसाइट <https://mandimitra.com/> पर अपलोड की गई है। आवेदन प्रस्तुत करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आवेदन करने से पहले इसे ध्यान पूर्वक पढ़ लें तथा वांछित अर्हता होने की दशा में ही आवेदन करें। विज्ञापित संबंधित पदों हेतु आयु सीमा आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए एवं अधिकतम निम्नानुसार है

रिजिनल परियोजना प्रबंधक / जिला परियोजना प्रबंधक / क्लस्टर परियोजना ऑफिसर

/ प्रखंड परियोजना प्रबंधक / मंडी मित्र सलाहकार सह प्रशिक्षण केंद्र संचालक (ग्राम पंचायत स्तर) के पद के लिए 31.03.2025 को अधिकतम आयु सीमा: सामान्य पुरुष - 45 वर्ष, महिला यूआर / बीसी / ईबीसी - 50 वर्ष, पुरुष बीसी / ईबीसी - 45 वर्ष, पुरुष और महिला एससी / एसटी- 50 वर्ष। दिव्यांग सामान्य पुरुष -50 वर्ष, दिव्यांग महिला यूआर / बीसी / ईबीसी - 50 वर्ष, दिव्यांग पुरुष बीसी / ईबीसी - 50 वर्ष, दिव्यांग पुरुष और महिला एससी / एसटी- 50 वर्ष।

3. उपरोक्त पदों हेतु वांछित अर्हता का मापदंड पूर्ण किए जाने की दशा में ही आवेदन स्वीकार किए जायेंगे। अपूर्ण आवेदन अथवा निर्धारित माध्यम के अलावा अन्य माध्यम से जमा कराये गये आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. ** मानदेय में (सीटीएस) में मूल वेतन, मकान किराया भत्ता, परियोजना भत्ता, दो बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता और कर्मचारी भविष्य निधि (नियोक्ता शेयर) शामिल हैं।
5. ** MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited कर्मचारियों के लिए अन्य मौद्रिक लाभों में 10% की दर से वार्षिक वृद्धि, वार्षिक मूल के 30% तक का प्रदर्शन प्रोत्साहन, दुर्घटना बीमा, स्वयं और परिवार के लिए चिकित्सा बीमा कवर, लैपटॉप खरीद अग्रिम / लैपटॉप रख रखाव भत्ता, स्व-शिक्षण भत्ता आदि शामिल हैं।
6. MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited के तहत पदों की पेशकश अनुबंध के आधार पर शुरू में 3 साल की अवधि के लिए की जाती है। अनुबंध का नवीनीकरण निरंतरता परियोजना के प्रदर्शन और निरंतरता के अधीन होगा।
7. अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक पदानुसार मांगी गई अर्हता पूर्ण होनी चाहिए। शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता एवं मांगे गये कार्यानुभव की अवधि आवेदन प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि तक अपूर्ण होने की दशा में आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
8. आवेदन शुल्क सह परीक्षा शुल्क- अनारक्षित श्रेणी / बीसी / ईबीसी श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क सह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) परीक्षा शुल्क रुपये 450 / - (चार सौ पच्चास रुपए मात्र) का गैर-वापसी योग्य शुल्क देना होगा। (प्रत्येक पद के आवेदन लिए)। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग (पीएच) श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क सह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) परीक्षा शुल्क रुपये 400 /- (चार सौ रुपए मात्र) के गैर-वापसी योग्य शुल्क का भुगतान करना होगा। (प्रत्येक पद के आवेदन लिए)। आरक्षण सुविधा केवल बिहार के अधिवास वाले उम्मीदवारों के लिए लागू होगी। आवेदन शुल्क का भुगतान पंजीकरण करते समय केवल ऑनलाइन करना होगा।
9. एंट्रेंस एग्जाम-कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) के माध्यम से होगा जिसका पाठ्यक्रम एग्रीकल्चर /कंप्यूटर /जीके होगा।
10. ऑनलाइन परीक्षा द्विभाषी होगी, अर्थात् अंग्रेजी और हिंदी में।
11. चयनित व्यक्ति को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) / साक्षात्कार एवं प्रशिक्षण से संबंधित सूचना उन्हें 10 / 05 / 2026 को वेबसाइट / फोन / कार्यालय के सूचना पट के माध्यम से दिया जाएगा।



Amr K Singh
Mandi Mitra Agriculture Digital
Solution And Trading Private Limited

12. सभी आवेदकों को मौखिक परीक्षा से गुजरना होगा।
13. इंटरव्यू :-सीबीटी में चयनित अभ्यर्थियों की इंटरव्यू का प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ऑफलाइन के माध्यम से होगा
(इंटरव्यू का माध्यम अभ्यर्थी चयन करेंगे ऑनलाइन Zoom & Offline- RANCHI HO / PATNA ऑफिस में)।
14. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन - चयनित अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवेदन हेतु राशि का भुगतान स्लिप की छाया प्रति, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बायोडाटा, फोटो पहचान पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एवं फोटो (सभी प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित) सभी को संलग्न कर लिफाफा में नाम पता और मोबाइल नंबर के साथ कार्यालय पाते पर निबंधित डाक के माध्यम से या संस्थान के ईमेल mandimitraa@gmail.com पर सभी कागजात का एक साथ पीडीएफ बना कर आवेदक को भेजना होगा, भेजे गए डॉक्यूमेंट के सत्यापन के आधार पर मेरिट लिस्ट एवं ट्रेनी ऑफर लेटर जारी होगा।
15. सिक्योरिटी मनी - चुने गए अभ्यर्थियों को मंडी मित्र सेंटर पर कृषि प्रोडक्ट (उर्वरक, खाद, बीज, दवा, कृषि औजार, मिट्टी प्रशिक्षण यंत्र, प्रोजेक्टर) के साथ - साथ अन्य उपकरण मुहैया कराया जाएगा जिसके लिए चुने गए व्यक्ति को (DPM- 30000 /-, CPO- 30000 /-, BPM- 30000 /- MMS - 25000 /- AACO & AAOA - 15000/-) DPM, CPO, BPM, MMS, AACO, AAOA के मानदेय से सिक्योरिटी मनी की राशि 6 मासिक किस्त में काटा जायेगा।
16. संस्थान के साथ 6 माह के कार्य अवधि पूरा करने के बाद, संस्थान द्वारा दिया गया सभी मेसनरी एवम सामन को संस्थान को वापस कर अपना जमा किया हुआ सिक्योरिटी मनी वापस ले सकते है।
17. कर्मचारी कभी भी संस्थान के कार्य से मुक्त होने का 1 महीना पहले नोटिस दे कर नोटिस पीरियड पूरा होने पर संस्थान से एनओसी ले अपना जमा राशि को वापस ले सकते है।
18. उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को पदानुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हता के आलोक में मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा बिहार राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसे पूर्ण नहीं किये जाने की दशा में आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। बिहार राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामलों में सरकार के प्रावधानानुसार बिहार राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमिडियट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।
19. जिला के अभ्यर्थी अपने स्थानीय निवास वाले जिलों हेतु ही कोटिवार उपलब्ध रिक्त पदों पर आवेदन करने के योग्य होंगे।
20. अभ्यर्थी ध्यान दें कि आवेदन प्रबंधन, चयन प्रक्रिया संबंधी आवश्यक सूचना अभ्यर्थियों को देने में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा तथा नियुक्ति की मेधा सूची बनाने में आवश्यक सहयोग हेतु **MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited** द्वारा अनुबंधि HR एजेन्सी के माध्यम से सेवाएँ ली जायेंगी।
21. **MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited** के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, **MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited** में कार्यरत कर्मियों के वर्तमान पदों पर सेवा के 1 वर्ष पूरे न होने पर मौजूदा **MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited** कर्मचारियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे। इस स्थिति में एक साल की सेवा की गणना के लिए इन विज्ञापन में प्रकाशित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अंतिम माना जायेगा।
22. यदि उम्मीदवार मानदंडों को पूरा करते हैं तो एक या अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक पदों के लिए आवेदन अलग से जमा किया जाना आवश्यक होगा। **MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited** विज्ञापित पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा /तकनीकी परीक्षा एक ही या अलग-अलग दिनों में निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।कई पदों के लिए shortlist किये गये अभ्यर्थियों को सर्वोत्तम उपयुक्त विकल्प चुनना होगा और तदनुसार चयन प्रक्रिया में भाग लेना होगा।

Ankit Kumar


Director
Mandi Mitra Agriculture Digital
Solution And Trading Private Limited




Mandi Mitra Agriculture Digital
Solution And Trading Private Limited

23. सभी विज्ञापित पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) परीक्षा चयन प्रक्रिया के अगले चरण हेतु (जिस पद हेतु उपयुक्त हों) अभ्यर्थियों के shortlist किए जाने का आधार होगा। अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में संपादित परीक्षा में निर्धारित कटऑफ के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। अंतिम मेधा सूची विभिन्न चरणों में संपादित परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर कट ऑफ नियमावली का पालन करते हुये तैयार की जायेगी।
24. चयनित उम्मीदवारों का पदस्थापन **MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited** प्रबंधन के निर्णय के अधीन होगा। परियोजना की आवश्यकता के आधार पर पदों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है। सभी विज्ञापित पद अनुबंध के आधार पर परियोजना की आवश्यकता/बजट की उपलब्धता तक जो भी पहले हो, तक मान्य होंगे।
25. अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें, कि उपरोक्त वर्णित पदों हेतु आवश्यक अर्हता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र तथा आवेदन में प्रस्तुत किए गए विवरण किसी भी समय यदि गलत पाये जाते हैं तो अभ्यर्थी की पात्रता (चयन के बाद की अवस्था में भी) रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
26. **MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited** किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को रद्द या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। राज्य सरकार / **MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited** के मानव संसाधन नियमावली के अनुसार समय-समय पर जारी किए जानेवाले प्रावधानों के अनुसार **MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited** चयन प्रक्रिया संबंधी आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
27. उपरोक्त रिक्तियों के संदर्भ में अभ्यर्थी ध्यान दें कि **MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited** प्रबंधन द्वारा संगठनात्मक पुनः संरचना के संदर्भ में लिए गए निर्णयानुसार सहायक स्तर पदों की संख्या कार्यक्रमों की आवश्यकता के अनुरूप प्रत्येक जिले हेतु पूर्व निर्धारित की गयी है। तदनुसार, वर्तमान में रिक्त पदों हेतु नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ की जा रही है। उपरोक्त सारिणी में दर्शित वे जिले जहाँ अभी रिक्तियाँ नहीं हैं, उनके लिए आवेदन आमंत्रित नहीं किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी ध्यान दें कि बिना रिक्तियों वाले जिलों हेतु संबंधित पद के किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
28. मंडी मित्र सलाहकार सह प्रशिक्षण केंद्र संचालक (ग्राम पंचायत स्तर) पद पर 50 प्रतिशत पद सिर्फ महिला के लिए आरक्षित है।
29. आवेदक (रिजिनल परियोजना प्रबंधक / जिला परियोजना प्रबंधक / क्लस्टर परियोजना ऑफिसर / प्रखंड परियोजना प्रबंधक, मंडी मित्र सलाहकार) के पास मोटरसाइकिल और स्मार्टफोन होना अति आवश्यक है।
30. आवेदक (मंडी मित्र सलाहकार सह प्रशिक्षण केंद्र संचालक) के पास स्मार्टफोन होना अति आवश्यक है।
31. सेवारत राज्य सरकार के अधिकारियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रासंगिक प्रतिनियुक्ति मानदंड / **MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited** नीति उन पर लागू होगी।
32. सरकार, पीएसयू और बैंकों से सेवानिवृत्त अधिकारी, पर्याप्त उत्साह और गरीबों, महिलाओं एवम किसानों के लिए काम करने की इच्छा रखने वाले भी उपयुक्त पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को चयन के लिए विचार किए जाने के लिए स्नातक होना चाहिए।
33. उम्मीदवारों की केवल ऐसी शैक्षिक योग्यताओं पर विचार किया जाएगा जो एआईसीटीई / एमएचआरडी / संबंधित राज्यों द्वारा अनुमोदित हैं।
34. पंजीकृत सार्वजनिक और निजी संगठन, पंजीकृत एनजीओ / सोसाइटियों और सरकारी संस्थानों के साथ प्रासंगिक अनुभव (पूर्णकालिक) पर ही विचार किया जाएगा।
35. **MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited** से अनुशासनात्मक आधार पर अलग हुए व्यक्तियों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
36. आर्टिकलशिप /अप्रेंटिसशिप /इंटरनशिप / नौकरी से बाहर के प्रशिक्षण को अनुभव नहीं माना जाएगा।
37. मंडी मित्र सलाहकार सह प्रशिक्षण केंद्र संचालक और प्रखंड परियोजना प्रबंधक की रिक्तियों को **MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited** के 'इंटरनशिप मॉडल' के माध्यम से भरा जाएगा।

Ankit Kumar



38. मंडी मित्र सलाहकार सह प्रशिक्षण केंद्र संचालक और प्रखंड परियोजना प्रबंधक की ऑनलाइन लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में 10 दिनों की इंटरशिप से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें पूरी अवधि के लिए कोई भुगतान / भत्ता नहीं दिया जाएगा।
39. रिजिनल परियोजना प्रबंधक / जिला परियोजना प्रबंधक / क्लस्टर परियोजना ऑफिसर की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में 10 दिन की इंटरशिप भी करनी होगी, जिसके लिए कोई भुगतान / भत्ता नहीं दिया जाएगा।
40. चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में भाग लेने के लिए कोई टीए / डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।
41. **प्रीमियर संस्थान में शामिल हैं:** सभी आईआईएम, यूएस और यूके के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, आईआरएमए, आईआईएफएम, सभी आईआईटी, एक्सएलआरआई, डीएसई, एफएमएस, एमडीआई, एसपीजेआईएमआर, एफएमएस- दिल्ली, मैनेज-हैदराबाद, एक्सआईएमबी, सीआईएमपी, टीआईएसएस, एनआईएफटी, सीएफटीआरआई, एनआईडी, DMI, NIAM- जयपुर, VAMNICOM- पुणे, XISS, IIIT-इलाहाबाद, IIIT - हैदराबाद, IARI-नई दिल्ली, IVRI-UP, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, फैकल्टी ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायर्नमेंटल साइंस - नालंदा यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ प्रबंधन अनुसंधान -जयपुर, केएसआरएम, आईआईआरएम, आईआईसीडी-जयपुर, एनडीआरआई-करनाल, सीआईएफई-मुंबई, विश्व भारती-शांति निकेतन, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एक्शन एंड स्टडीज-जबलपुर, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय-बैंगलोर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय-सबौर; संजय गांधी डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान; बिरसा कृषि विश्वविद्यालय-रांची; जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बिधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय-डब्ल्यूबी; डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय-पूसा; बनारस हिंदू विश्वविद्यालय-वाराणसी; असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय- इंफाल, एलएन मिश्रा आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान-पटना; क्लस्टर इनोवेशन सेंटर- दिल्ली विश्वविद्यालय और ग्रामीण विकास विभाग- पटना विश्वविद्यालय।

1. प्रशासनिक निकाय **MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited** के द्वारा चयन प्रक्रिया

1. **MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited** उन उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन को वरीयता देगा जो ग्रामीण किसानों / गरीबों महिला के साथ काम करने में सक्षम हैं, विशेष रूप से महिलाएं किसानों और उनकी संस्थाएं। इस प्रयोजन के लिए, स्थानीय उम्मीदवारों को स्थानीय का ज्ञान है अन्य सभी आवश्यकताओं के साथ भाषा और स्थानीय संस्कृति को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. पूर्णकालिक सलाहकारों की सेवाएं लेने के लिए भी आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा।
3. निम्नलिखित पदों के लिए कार्मिकों द्वारा परिचालित जिला आरक्षण रोस्टर प्रणाली विभाग, जीओजे लागू होगा।
 - रिजिनल परियोजना प्रबंधक
 - जिला परियोजना प्रबंधक
 - क्लस्टर परियोजना ऑफिसर
 - प्रखंड परियोजना प्रबंधक
 - एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट सह कंप्यूटर ऑपरेटर
 - मंडी मित्र सलाहकार सह प्रशिक्षण केंद्र संचालक (ग्राम पंचायत स्तर)
 - एडमिन असिस्टेंट सह ऑफिस असिस्टेंट
4. अन्य सभी पदों के लिए, मौजूदा राज्य आरक्षण रोस्टर यथा लागू रहेगा। **MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited** इसका पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करेगा।
5. अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के लिए कट ऑफ अन्य चयन प्रक्रिया के समान ही लागू होगी, यह चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण / स्तर पर लागू होगा।
6. चयन प्रक्रिया और सभी प्रासंगिक सूचनाओं में सभी पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखी जाएगी चयन प्रक्रिया के संबंध में उम्मीदवारों को जानकारी प्रदान किया जाएगा।



Ankit Kumar

Director
Mandi Mitra Agriculture Digital
Solution And Trading Private Limited

Amir Kr Singh
Mandi Mitra Agriculture Digital
Solution And Trading Private Limited

चयन: शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को चरणबद्ध तरीके से भर्ती के अगले चरणों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों की सूची, शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदन, चयन के लिए परीक्षा की तिथियां और स्थान आदि की जानकारी यथा समय <https://mandimitra.com/> पर पोस्ट की जाएगी। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे घोषणाओं के लिए नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें।

नोट:- अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें, उपरोक्त भर्ती से संबंधित किसी भी सूचना के लिए केवल <https://mandimitra.com/> को ही आधार मानें। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि अन्य श्रोत से प्राप्त जानकारी व नौकरी एवं किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बचें। साथ ही आवेदन करते समय दिए गए मोबाइल नंबर को नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने तक कार्यरत रखें।

1. आवेदन करने के लिए कृपया <https://mandimitra.com/> और <https://mandimitra.com/job-opening/> पर क्लिक करें।

• ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 05 / 05 / 2026 होगी।

अस्वीकरण:-मात्र योग्यता नौकरी की गारंटी नहीं देती है। **MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited** योग्यता और प्रासंगिक अनुभव के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

• पिछली भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रतीक्षा सूची वाले आवेदकों के लिए सूचना

कृपया ध्यान दें कि यह विज्ञापन **MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited** द्वारा भर्ती के मामले में पिछली सभी अधिसूचनाओं का स्थान लेता है। जिन उम्मीदवारों ने पहले आवेदन किया था और आगे की प्रक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि ऐसे पदों के विज्ञापन के रूप में फिर से आवेदन करें।

इसलिए, सभी पदों के लिए प्रतीक्षा सूची को समाप्त कर दिया गया है।

* **MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited** नीति के अनुसार।


Director
Mandi Mitra Agriculture Digital
Solution And Trading Private Limited


Anil Kr Singh
Mandi Mitra Agriculture Digital
Solution And Trading Private Limited


Ankit Kumar
Chief Executive Officer
MandiMitra Agriculture Digital Solution
And Trading Private Limited

नोट : सभी प्रस्तावित जिले में शाखाओं के कार्यालय के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में 1000-1500 sqft जगह किराये पर चाहिए।

Support Helpdesk

E-mail ID : mandimitraa@gmail.com | Tel : +91- 8986661888
Timings : 09:00 am - 6:00 pm (Monday to Saturday)

Website - <https://mandimitra.com/>

Job Apply Link - <https://mandimitra.com/job-opening/>

Tollfree No- +91-8986661888

Other Helpline – 9430138062, 9430138063

• ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 05 / 05 / 2026 होगी।

****Bring smile to the faces of poor farmer in Bihar****

MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited

SELECTION PROCESS

The selection process consists of multiple steps. The process is visually explained below:

Steps involved in selection process



Step 8 : Further Selection Process (GD/PPT/PI/Tally Test/Village Internship)

This step has been divided into different categories according to prescribed job criteria. Category wise details are mentioned below :

Positions with GD & PI

- Project Manager- Micro Finance
- Project Manager- Micro Insurance
- Project Manager- Documentation & External Relation
- Project Manager- Marketing & Innovation
- Project Manager- Alternate Banking
- Project Manager- Business Development (Non-Farm)
- Regional Project manager
- State Project manager
- Divisinal Project manager
- Cluster Program Officer
- District Project Manager
- Block Project Manager
- Assistant Finance Manager
- Livelihood Specialist
- IT Associate
- Cashier
- Training Officer
- Finance Manager
- Manager HR & A
- Manager Jobs
- Manager–Livelihoods (Farm)
- Manager–Livestock
- Manager–Non Farm & Micro Enterprise
- Manager- Monitoring & Evaluation
- Manager - Communication
- Manager- Micro Finance
- Manager – Community Finance
- Procurement Manager

Positions with PPT & PI

- District Project Manager
- Cluster Program Officer
- Block Project Manager

Positions with Tally Test/DCA/DTP & PI

- Accountant
- Admin Assistant Cum Computer Operator

Positions with PI

- Accountant (BLOCK LEVEL)
- Office Assistant (BLOCK LEVEL)
- District Coordinator
- District Consultant-
- District Consultant- MLE & MIS
- District Consultant-
- Block Coordinator
- Admin Assistant Cum Office Assistant
- Mandi Mitra Salahkar Cum Farmer Training center Operator
- Telecaller

Positions with 2 Days Village Internship program

- Area Coordinator
- District Project Manager
- Cluster Program Officer

Positions with 10 Days Village Internship program

- Mandi Mitra Salahkar Cum Farmer Training center Operator
- Block Project Manager


Director
Mandi Mitra Agriculture Digital
Solution And Trading Private Limited




Amit Kr Singh
Mandi Mitra Agriculture Digital
Solution And Trading Private Limited



10/04/2026

**MANDI MITRA SALAHKAR
BLOCK PROJECT MANAGER
CLUSTER PROGRAM OFFICER
DISTRICT PROJECT MANAGER**

**WORK SCHEDULE,
RESPONSIBILITY & SALARY
PAYOUT BENEFIT**

सभी पदों में कार्यरत व्यक्ति के दैनिक कार्य विवरण उनकी
जवाबदेही और सभी के मंडी मित्र के साथ काम करने पर मानदेय के
साथ अन्य प्रकार के लाभ वितरण का संपूर्ण विवरण पुस्तिका

विस्तारित जानकारी के लिए कम्पनी के कंपनी के वेबसाइट

<https://mandimitra.com/> पर जा कर अध्ययन कर ले

या कम्पनी के हेल्पलाइन नो पर संपर्क करे

8986661888, 9430138062



MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited

Reg. Office :- Road No-01s ,Van Vrindavan Colony, Chirondi, Morabadi, Ranchi, Jharkhand, 834006

Cor. Off- Lal Nikatan, C.P. Thakur Path, Professor Colony, Shivpuri , Aatal Path, Patna, Bihar-800023

Website- <https://mandimitra.com/> , e-mail- mandimitraa@gmail.com, Helpline- 8986661888, 9430138062

Under Registered - Government Of India Ministry Of Micro, Small & Medium Enterprises

Government of India Ministry Of Corporate Affairs under the Company act 2013 (18 of 2013)

CIN NO- U01111JH2024PTC021920

MSME- UDYAM-JH-20-0003250

LETTER NO - 05 / MM/ 2026-2027

DATE- 10/04/2026

1. MANDI MITRA KRISHI SALAHKAR(GARM PANCHAYAT)

WORK SCHEDULE, RESPONSIBILITY & SALARY PAYOUT BENEFIT

इंटरशिप कार्य अवधि

स्टेप 1- कृषि संबंधी दुकान का सूची को तैयार करना।

पहला और दूसरा दिन में अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत जो भी कृषि संबंधी दुकान है उसकी सूची को तैयार करना।

सूची में, दुकान का नाम, दुकानदार का नाम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला का विवरण लेना

किस-किस पंचायत तक के किसान इनके दुकान से सामान ले जाते हैं। किस-किस चीज का इनके पास लाइसेंस है।

इनके पास खाद बीज दवा इत्यादि का लाइसेंस है

क्र	दुकान का नाम	दुकानदार का नाम	मोबाइल	व्हाट्सएप	गांव, पंचायत	लाइसेंस			किस पंचायत तक के किसान इनके दुकान से सामान ले जाते हैं	क्या मंडी मित्र से जुड़ना चाहते हैं
						खाद	बीज	दवा		

स्टेप 2 - सूचीबद्ध दुकान में से एक दुकान का चयन

तीसरा और चौथा दिन में सूचीबद्ध दुकान में से एक दुकान का चयन कर दुकान के साथ एक एग्रीमेंट करना और दुकान के बाहर मंडी मित्र का बोर्ड कहाँ-कहाँ लगेगा उसका नाप लेना। और दुकान का फोटो लेना और वीडियो लेना है अंदर और बाहर दोनों तरफ का।

स्टेप 3- कार्यक्षेत्र के गांव में जाकर किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनकर सूचीबद्ध करना

पांचवें से सातवें दिन अपने कार्यक्षेत्र के गांव में जाकर किसानों से मिलकर किसानों का बैठक करवाना। उनकी समस्याओं को सुनकर सूचीबद्ध करना और किसानों को मंडी मित्र के योजनाओं के बारे में बताना, और उनका क्या मतलब है इसको भी सूचीबद्ध करना। कम से कम प्रतिदिन 30 किसान से मिलकर उनके सूची को तैयार करना है। उनके जो भी विचार हो उनको सूचीबद्ध करना।

क्र	दिनांक	नाम	पिता / पति	गांव	मोबाइल नो	खेती (एकड़)	किसान का समस्या	मंडी मित्र का बारे में विचार	अभिव्यक्ति

स्टेप 4- मंडी मित्र किसान क्लब कार्ड बनवाना और उनकी जरूरत को सूचीबद्ध करना

आठवां से दसवां दिन में, पहले जिन किसानों से मिलकर उनको मंडी मित्र की योजनाओं के बारे में बताए थे उनसे दुबारा मिलकर उनका मंडी मित्र किसान क्लब कार्ड बनवाना और उनकी जरूरत को सूचीबद्ध करना और मिट्टी जांच हेतु सैंपल कैसे इकट्ठा किया जाए इस संबंध में प्रशिक्षण देना है।

DAILY WORK SCHEDULE

कार्य अवधि - प्रतिदिन 8 से 9 घंटा

1. प्रतिदिन सुबह 8 से 12:00 बजे दोपहर तक नए किसानों से मिलकर मंडी मित्र के लाभकारी योजनाओं के बारे में किसानों को बताना है और मंडी मित्र के बारे में जो भी उनके विचार हो उनको सूचीबद्ध करके किसानों का सूची तैयार करना है।
2. दोपहर 2:00 बजे से लेकर शाम को 6:00 बजे तक पुराने जिन किसानों से मिलकर उनको मंडी मित्र के योजनाओं के बारे में बताया गया था उनसे मिलना है और उनका किसान ग्रुप तैयार कर उनका किसान क्लब कार्ड बनाना है उनके उपयोग के जरूरी कृषि प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी देना है उन प्रोडक्टों की ऑर्डर लेना है।
3. अपने कार्य अवधि में प्रतिदिन किसान समूह की बैठक कर उनके समस्याओं को सूचीबद्ध करना और उनका जो भी समस्या हो उसको किसान सहायता केंद्र, बीपीएम या कंपनी स्तर पर समस्या को दूर करना है
4. उनके फसल का निरीक्षण करना है ,और फसल में जो भी रोग लगा हो, मोबाइल एप और वेबसाइट में देखकर उनको क्या दवा लगेगी इस बारे में बताना
5. किसान के उपज का क्वालिटी चेक कर उनके फसल के सही कीमत लगाना है और तोल करा कर गोदाम में भिजवाना है।
6. किसानों द्वारा दिए गए अपने जरूरत के सामान का आर्डर को कंपनी और अपने बीपीएम को बताना है और उनके आर्डर को किसानों को पहुंचवाना है।
7. किसानों को मौसम की जानकारी देना है, उनकी मिट्टी की जांच करना है, उनकी मिट्टी के जांच लिए नमूना कैसे इकट्ठा किया जाए इसका प्रशिक्षण देना है, किसानों की मिट्टी की जांच हेतु नमूना का संग्रह करना है।
8. किसानों का जहां भी बैठक कर रहे हैं वहां का फोटो और वीडियो बनाना है और जब किसानों से उनकी समस्याओं को सुन रहे हो तो उनका भी वीडियो बनाना है और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रतिदिन डालना है।
9. किसान सहायता केंद्र पर निगरानी रखना है। और प्रतिदिन किसान सहायता केंद्र पर भी अपना समय देना है और किसान सहायता केंद्र पर जो भी किसान आ रहे हो उनको मंडी मित्र की योजनाओं के बारे में बता कर मंडी मित्र से उनका किसान क्लब कार्ड बना कर जोड़ना है
10. प्रतिदिन सलाहकार के द्वारा किए गए दैनिक कार्य रिपोर्ट को BPM एवं कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है
11. सलाहकार के द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय अनियमित किया जा रहा है तो अभिलंब बीपीएम के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसको सस्पेंड कर उसके कार्य पर रोक लगाया जाएगा। और संस्थान के द्वारा सभी प्रकार के भुगतान पर रोक लगा दी जाएगी
12. अगर कोई सलाहकार अपना दैनिक कार्य रिपोर्ट प्रतिदिन नहीं दे रहा है तो सलाहकार के अटेंडेंस को अनुपस्थित कर रिपोर्ट तैयार किया जाएगा।
13. सलाहकार को संस्थान के सभी आचार संहिता एवं नियमावली को पालन करना होगा अगर सलाहकार के द्वारा आचार संहिता नियमावली का पालन नहीं किया जाएगा तो **BPM**, डीपीएम के माध्यम से सलाहकार के ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
14. कार्यक्षेत्र में कार्य कर रहे सभी सरकारी और निजी संस्थान जैसे की कृषि आदान पूर्ति वाले कंपनी, पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट की सुविधा देने वाले संस्थान, गोदाम, कृषि औजार की सुविधा प्रदाता, ट्रैक्टर, ट्रांसपोर्ट प्रदाता, कृषि हेतु प्रशिक्षण देने वाले संस्थान इत्यादि से संपर्क कर उनसे मंडी मित्र के साथ में मिलकर काम करने हेतु संपर्क कर एमओयू करना।
15. संस्थान के विकास हेतु अपने कार्य क्षेत्र में सभी संवैधानिक और उचित कार्य करने की शक्ति प्रदान की जाती है जिससे संस्थान और इससे जुड़े किसानों का लाभ हो सके, और किसानों तक अधिक से अधिक सुविधा पहुंचा कर किसानों के खर्च को कम कर उनकी आय को बढ़ाया जा सके और मंडी मित्र के आय में बढ़ोतरी हो सके।
16. उपरोक्त किसी भी कार्य में सलाहकार को समस्या हो रही हो तो वह अपनी समस्या को अपने बीपीएम, डीपीएम या कंपनी को सूचित कर उस समस्या का समाधान कर ले। और कहीं पर आपको अगर सहयोग की जरूरत हो तो अपने बीपीएम, CPO, डीपीएम या कंपनी से सहयोग लेकर अपने कार्य को सुचारू ढंग से करें अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो आप संस्थान के एचआर हेड से संपर्क कर अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

MANDI MITRA KRISHI SALAHKAR SALARY PAYOUT BENEFIT

- आपका कार्य क्षेत्र - 1 से 2 पंचायत में कार्य करना होगा एवं उसमे आने वाले सभी गांव आपके कार्य क्षेत्र में आएगा
- मासिक वेतन = आपका सीटीसी अनुबंध-1 और अनुबंध-2 के अनुसार होगा ।
- प्रारंभिक 6 माह के प्रशिक्षण अवधि के दौरान रु. 12500/- प्रतिमाह (2000 रुपये प्रतिमाह के यात्रा भत्ता+ बोनस + प्रोत्साहन - अतिरिक्त होगा)
- अतिरिक्त किसान खरीद प्रोत्साहनराशि भुगतान - न्यूनतम 5000 /- से 10000 /- मासिक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलता है ।

अतिरिक्त सुविधा :-

- 1 किसान खरीद प्रोत्साहन राशि- 1% से 4 % (संपूर्ण पंचायत में कोई भी किसान सदस्य किसान गोल्ड कार्ड/ किसान प्लेटिनम कार्ड के माध्यम से किसी भी प्रकार के उत्पाद (जैसे मिट्टी जाँच, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, खनिज, कृषि उपकरण, नर्सरी प्लांट, ट्रैक्टर, वर्मी कंपोस्ट, अन्य कोई उत्पाद) की मंडी मित्र किसान सहायता केंद्र में खरीददारी करता है तो **मंडी मित्र सलाहकार** को किसान के खरीद पर 1% से 4 % प्रोत्साहन राशि मिलता है

उदाहरण के लिए

आपके कार्य क्षेत्र में कुल लगभग 12 से 14 गांव होंगे

* प्रति पंचायत में किसान संख्या - 432 /-

* न्यूनतम प्रति पंचायत 36 किसान समूह आपके निगरानी में होगा ।

* कुल किसान आपके निगरानी में होगा 36 किसान ग्रुप * 12 किसान = 432 किसान ।

*प्रत्येक समूह में किसान की संख्या- 12 से 14

* अगर प्रत्येक किसान कम से कम 1 एकड़ खेती करता है तो सभी किसानों का खेत मिला कर

कुल 432 किसान * 1 एकड़ = कुल 432 एकड़ में आपके पंचायत में खेती होती है

सलाना एक किसान धान और गेहू या फिर फल सब्जियां की फसल की खेती के लिए मंडी मित्र किसान सहायता केंद्र से लगभग 10000 /- की उत्पाद (जैसे मिट्टी जाँच, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, खनिज, कृषि उपकरण, नर्सरी प्लांट, वर्मी कंपोस्ट, अन्य कोई उत्पाद) की खरीददारी करता है तो आपके पंचायत से मंडी मित्र से जुड़े किसानों के द्वारा कुल खरीददारी $432 * 10000 = 43,20,000$ /- की खरीददारी होती है तो, एक **मंडी मित्र सलाहकार** की किसानों की खरीददारी पर कुल इंसेंटिव = $43,20,000 * 4 \% = 1,72,800$ /- सलाना

महीने का $1,72,800 / 12$ माह = $14,400$ /- प्रति माह कम से कम हर महीने अतिरिक्त आय होगा ।

अगर 1 पंचायत के के किसान सदस्य द्वारा किसान गोल्ड कार्ड / किसान प्लेटिनम कार्ड के माध्यम से 25 % किसान भी मंडी मित्र सहायता केंद्र से अपना सामान खरीदते है तो फिर भी $14,400 * 25\% = 3600$ /- प्रति माह कम से कम हर महीने अतिरिक्त आय मंडी मित्र सलाहकार को होगा ।

- 2 प्रीमियम कंपनी उत्पाद बिक्री प्रोत्साहन राशि = 1 % (रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया , डीएपी, एमओपी, कोई अन्य प्रीमियम कंपनी उत्पाद पर प्रोत्साहन राशि मिलता है) ।
- 3 छः माह के प्रशिक्षण अवधि उपरांत कार्य मूल्यांकन में सफल पाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते में 10% - 20% वृद्धि ।
4. वार्षिक मूल वेतन के 30% तक का प्रदर्शन प्रोत्साहन वार्षिक ।
5. दुर्घटना बीमा 5 लाख ।
6. स्वयं और परिवार के लिए चिकित्सा बीमा कवर ।
7. 12 माह के उपरांत BLOCK PROJECT MANAGER लेवल के पोस्ट में प्रमोशन की सुविधा

सीटीसी अनुबंध-1

POST	BASIC+HRA +BONUS + EPF+ESIC	TA+ FIELD EXP	NET SALARY	OTH PRODUCT & SERVICES SALE INC %	PREMIUM PRODUCT SALE INCENTIVE %	GROUP CREATE INCENTIVE
Mandi Mitra Salahkar	12500	2000	14500	4 %	1 %	2100 / GROUP

- Tds ,Pt & other applicable taxes as per govt ruls.

अनुबंध-2

IMPORTANT NOTICE	Salary / Payment T & C
<p>*Minimum 36 Gold club Farmer Group / 72 General club Farmer Group Per Panchayat Salahkar (MMS) Work Area.</p> <p>*Per Farmer Group Minimum 12 Farmer</p> <p>*Minimum 1000 Acre Agriculture Land For Cultivation Per Panchayat</p> <p>*Farmer And Land Registration Work Complete 6 Month</p> <p>*2 Gold Club Farmer Group Create And Soil Testing Registration within Internship Selection Duration.</p> <p>*12 General Club Farmer Group Per Month</p> <p>*Collection Centre Complete Setup 45 Days After Selection.</p> <p>*Per Collection Centre Minimum 500 Acre Agriculture Land For Cultivation.</p> <p>*Per Month Minimum 12 Village/ panchayat /block Level Farmer Training And Advisory Program Per (Mms) Work Area.</p> <p>*First Payment Increment After 6 Month 10 %</p> <p>* No Work Chart Complete No Monthly Payment Disbursement.</p> <p>* Monthly Salary Pay After Daily/ weekly /Monthly Work Chart Complete And Submit in office .</p> <p>* Company Any Time Transfer Other District, Block And Panchayat.</p> <p>* 5 lakh Accidental Death And Disability insurance</p> <p>*Yearly Annual Performance Bonus 10 % to 30 % extra Pay for Basic Annual Salary .</p> <p>*Farmer And Land Registration Work Complete 6 Month</p> <p>* इंटरनशिप समय में जो कार्य आपको दिया गया है, अगर आप इंटरनशिप समय अवधि में अपने कार्य लच्छ पूरा नहीं कर पाते है, तो आपकी नियुक्ति को स्थाई नहीं की जाएगी, और आपकी नियुक्ति को रद कर के आपके स्थान पर वेटिंग लिस्ट में जिस अभियार्थी को रखा गया है उसकी नियुक्ति किया जायेगा।</p>	<p>Salary / Payment T & C</p> <p>A. 36 Farmer Group Per Panchayat</p> <p>B. Duration 6 Month</p> <p>C. Minimum- 7 Gold Farmer Group / 14 GCF Group Per Panchayat per month</p> <p>Mms Salary Payment Structure</p> <p>7 Gold Farmer Group Create - 100 % Payment</p> <p>3 To 4 Gold Farmer Group Create – 50 % Payment</p> <p>2 Gold Farmer Group Create -30 % Payment</p> <p>100% Work Complete - 100 % Payment Paid</p> <p>80%-100% Work Complete–100 % Payment Paid</p> <p>50% Work Complete -50 % Payment</p> <p>30% Work Complete – 30 % Payment</p> <p>*Note- Below 30% Work Complete No Salary Payment Only Incentive + Ta+ Field Exp pay</p> <p>* No work Report No salary paid</p>

- Note- 6 माह के प्रशिक्षण अवधि उपरांत कार्य मूल्यांकन में सफल पाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited के मानव संसाधन नियमावली के अनुसार लागू होंगे।

Authorized Signatory

Nalima Kumar



Hr Manager Mandimitra-Ranchi-Ho

Amit kr Singh
Mandi Mitra Agriculture Digital
Solution And Trading Private Limited

DATE- 10/04/2026



MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited

Reg. Office :- Road No-01s ,Van Vrindavan Colony, Chirondi, Morabadi, Ranchi, Jharkhand, 834006

Cor. Off- Lal Nikatan, C.P. Thakur Path, Professor Colony, Shivpuri , Aatal Path, Patna, Bihar-800023

Website- <https://mandimitra.com/> , e-mail- mandimitraa@gmail.com, Helpline- 8986661888, 9430138062

Under Registered - Government Of India Ministry Of Micro, Small & Medium Enterprises

Government of India Ministry Of Corporate Affairs under the Company act 2013 (18 of 2013)

CIN NO- U01111JH2024PTC021920

MSME- UDYAM-JH-20-0003250

LETTER NO - 05 / MM/ 2026-2027

DATE- 10/04/2026

2. BLOCK PROJECT MANAGER

WORK SCHEDULE, RESPONSIBILITY & SALARY PAYOUT BENEFIT

कार्य अवधि - प्रतिदिन 8 से 9 घंटा

स्टेप 1- कृषि संबंधी दुकान से संपर्क कर सूची तैयार करना

1. पहले और दूसरा दिन में अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत मंडी मित्र कृषि सलाहकार के साथ या अकेले कृषि संबंधी दुकान से संपर्क कर सूची तैयार करना और दुकानदार को मंडी मित्र के योजना और मंडी मित्र से जुड़कर कृषि दुकानदार कैसे अपना व्यवसाय को विकसित कर सकते हैं यह बताना।
2. कृषि दुकानदार को मंडी मित्र से जुड़ने के लिए क्या-क्या कागजात की जरूरत होगी और क्या-क्या प्रक्रिया है यह संपूर्ण जानकारी सभी दुकानदार को देना। जिस जिस दुकान पर बीपीएम /सलाहकार के द्वारा संपर्क किया जा रहा है उस दुकान का फोटो और वीडियो बनाकर ग्रुप में डालना।
3. अपने कार्य क्षेत्र के सभी पंचायत में पंचायत स्तर पर शिक्षित और अनुभवी सलाहकार का चयन करना होगा।

स्टेप 2 - दुकान का चयन सलाहकार से विचार विमर्श कर करना

4. तीसरा और चौथा दिन में अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत दुकानों में से वैसे दुकान का चयन सलाहकार से विचार विमर्श कर करना जहां से किसानों को सभी सुविधा और सामान मिल सके और दुकानदार की वित्तीय स्थिति भी सही हो और उन दुकानदार का एग्रीमेंट पेपर का फार्म भरवाना और सभी कागजात को प्राप्त करना है। और दुकानदार के सभी एग्रीमेंट पेपर के फॉर्म और सभी कागजात का पीडीएफ बनाकर कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप में डालना होगा।
5. अगर पंचायतवार कृषि दुकान का चयन हो तो यह और भी अच्छा होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान को लाभ मिल सके और सलाहकार को भी दुकान पर निगरानी रखने और दुकान पर अपना समय देने में सुविधा होगा।

स्टेप 3- सलाहकार के सहयोग से किसानों का बैठक करवाना

6. पांचवें से दसवें दिन तक में कार्यक्षेत्र में कार्यरत सलाहकार के सहयोग से किसानों का बैठक करवाना और उन किसानों को सलाहकार के साथ मिलकर मंडी मित्र के बहुउद्देशीय लाभकारी योजनाओं के बारे में बताना। मंडी मित्र से किसान कैसे जुड़ सकते हैं इसके बारे में बताना मंडी मित्र के क्लब कार्ड बनवाने से किसान को क्या फायदा है इसके बारे में बताना।
7. किसानों का क्लब कार्ड बनवाने में सलाहकार को सहयोग करना। सलाहकार के द्वारा किसानों का नियमित बैठक करवाना। प्रतिदिन कम से कम दो सलाहकार के साथ उनके कार्य क्षेत्र में किसानों से मिलकर किसानों की समस्याओं को समझना और उनकी समस्याओं का समाधान करना या संस्थान के मध्यम से करवाना।
8. बीपीएम और उनके कार्य क्षेत्र में कार्यरत सभी सलाहकारों के द्वारा किसानों के बैठक का फोटो लेना / लेवाना होगा और वीडियो बनवाना होगा। किसानों के खेतों पर जाकर उनके फसल का निगरानी करते हुए वीडियो बनवाना होगा और सभी फोटो और वीडियो को ग्रुप में डालवाना होगा और किसानों के साथ किसी अन्य प्रकार की कोई समस्या है तो उनका एक विस्तृत वीडियो बनवाकर ग्रुप में डालवाना होगा।
9. सभी सलाहकार के द्वारा किसानों की जरूरत की सामग्री के बारे में किसानों को अवगत करवाना और किसानों को जो भी जरूरी सामान चाहिए उसका आर्डर सलाहकार के माध्यम से कंपनी में लगवाना और प्रतिदिन सभी

सलाहकारों के साथ 1 घंटे का ऑनलाइन मीटिंग कर उनके समस्याओं का समाधान करना अपने कार्य क्षेत्र में सलाहकार को सहयोग करते हुए संस्थान के योजनाओं को किसानों तक पहुंचवाना

10. सभी सलाहकार को मिट्टी जांच हेतु मिट्टी का नमूना किसानों के द्वारा कैसे इकट्ठा करवाया जाए इसका प्रशिक्षण देना।
11. सभी सलाहकारों के साथ सप्ताह में एक दिन नियमित बैठक करना होगा और उस बैठक की सभी विचार विमर्श और समस्याओं को एक बैठक पुस्तिका में अंकित करना होगा।
12. सलाहकार के माध्यम से किसानों के उपज का जांच करवा कर उनकी खरीदारी कर अनाज को तलवा कर गोदाम तक भिजवाना।
13. कार्य क्षेत्र में कार्यरत सभी सलाहकार को सहयोग करते हुवे संस्थान के द्वारा सभी सलाहकार को जो दैनिक साप्ताहिक और मासिक कार्य लक्ष्य दिया गया है उनको पूरा करवाना
14. प्रतिदिन सभी सलाहकार के कार्य रिपोर्ट को प्राप्त कर उनके अटेंडेंस बनाना।
15. अगर कोई सलाहकार कार्य नहीं कर रहे हैं तो उसकी सूचना अपने CPO, डीपीएम या संस्थान तक पहुंचाना होगा।
16. अगर कोई सलाहकार अपना दैनिक कार्य रिपोर्ट प्रतिदिन नहीं दे रहा है तो उस पर निगरानी रखना और सलाहकार के अटेंडेंस को अनुपस्थित कर रिपोर्ट तैयार करना।
17. सलाहकार कार्य करने में असमर्थ हो तो पहले उनका सहयोग कर उनके समस्याओं का समाधान करने का कोशिश करना होगा। फिर भी सलाहकार कार्य नहीं कर रहे हैं या कार्य करने में असमर्थ हो तो उनके जगह पर शिक्षित और अनुभवी सलाहकार का चयन कर काम पर लगाना होगा।
18. सप्ताह में एक दिन अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत मंडी मित्र किसान सहायता केंद्र पर जाकर उनके विचार विमर्श को लेना होगा अगर उनको किसी भी प्रकार की समस्याएं हो तो डीपीएम या संस्थान के स्तर पर उसका समाधान करना होगा।
19. बीपीएम के द्वारा सभी सलाहकार पर निगरानी रखना होगा अगर सलाहकार के द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय अनियमित किया जा रहा है तो अभिलंब बीपीएम के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसको सस्पेंड कर उसके कार्य पर रोक लगाया जाएगा।
20. संस्थान के पास सलाहकार के वित्तीय अनियमित करने की शिकायत प्राप्त होती है और उसमें बीपीएम के द्वारा अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो संस्थान यह समझेगी की इसमें बीपीएम की भी भागीदारी है और बीपीएम और सलाहकार दोनो पर संस्थान के द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
21. अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत सभी सलाहकार का दैनिक साप्ताहिक और मासिक कार्य रिपोर्ट तैयार कर डीपीएम और संस्थान को भेजना
22. कार्यक्षेत्र में कार्यरत किसान सहायता केंद्र से उनके जरूरत के सामानों का आर्डर प्राप्त कर डीपीएम और कंपनी को सूचित करना
23. बीपीएम को अपना और अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत सलाहकार का कार्य रिपोर्ट या अन्य किसी भी प्रकार का कोई रिपोर्ट या सूचना अपने जिला में कार्यरत डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर एवं प्रधान कार्यालय को सूचना देने के लिए अधिकृत किया गया है।
24. बीपीएम को संस्थान के सभी आचार संहिता एवं नियमावली को पालन करना होगा अगर बीपीएम के द्वारा आचार संहिता नियमावली का पालन नहीं किया जाएगा तो डीपीएम के माध्यम से बीपीएम के ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
25. सभी सलाहकार से संस्थान के आचार संहिता और नियमावली का पालन करवाना होगा अगर बीपीएम के कार्य क्षेत्र में कार्यरत किसी भी सलाहकार के द्वारा संस्थान के आचार संहिता और नियमावली के विरुद्ध जाकर कोई कार्य कर रहे हो तो उसकी सूचना डीपीएम और संस्थान को देते हुए सलाहकार पर कार्रवाई का करने का अधिकार बीपीएम को दिया जाता।
26. कार्यक्षेत्र में कार्य कर रहे सभी सरकारी और निजी संस्थान जैसे की कृषि आदान पूर्ति वाले कंपनी, पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट की सुविधा देने वाले संस्थान, गोदाम, कृषि औजार की सुविधा प्रदाता, ट्रैक्टर, ट्रांसपोर्ट प्रदाता, कृषि हेतु प्रशिक्षण देने वाले संस्थान इत्यादि से संपर्क कर उनसे मंडी मित्र के साथ में मिलकर काम करने हेतु संपर्क कर एमओयू करना।

27. संस्थान के विकास हेतु अपने कार्य क्षेत्र में सभी संवैधानिक और उचित कार्य करने की शक्ति प्रदान की जाती है जिससे संस्थान और इससे जुड़े किसानों का लाभ हो सके, और किसानों तक अधिक से अधिक सुविधा पहुंचा कर किसानों के खर्च को कम कर उनकी आय को बढ़ाया जा सके और मंडी मित्र के आय में बढ़ोतरी हो सके।
28. उपरोक्त किसी भी कार्य में सलाहकार को समस्या हो रही हो तो वह अपनी समस्या को अपने CPO , डीपीएम या कंपनी को सूचित कर उस समस्या का समाधान कर ले। और कहीं पर आपको अगर सहयोग की जरूरत हो तो अपने CPO, डीपीएम या कंपनी से सहयोग लेकर अपने कार्य को सुचारू ढंग से करें अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो आप संस्थान के एचआर हेड से संपर्क कर अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

BLOCK PROJECT MANAGER

SALARY PAYOUT BENEFIT

- कार्य क्षेत्र - 1 से 2 प्रखंड में कार्य करना होगा एवं उसमें आने वाले सभी पंचायत आपके कार्य क्षेत्र में आएगा
- कार्य विवरण - कार्यक्षेत्र में उपस्थित सभी मंडी मित्र सलाहकार सह प्रशिक्षण केंद्र संचालक और मंडी मित्र किसान सहायता केंद्र पर निगरानी रखना और कंपनी द्वारा निर्धारित मासिक कार्य लक्ष्य को पूरा करना और सभी **मंडी मित्र सलाहकार** से पूरा करवाना।
- न्यूनतम मूल मासिक वेतन भुगतान= आपका सीटीसी अनुबंध-1 और अनुबंध-2 के अनुसार होगा।
- प्रारंभिक 6 माह के प्रशिक्षण अवधि के दौरान रु. 18500/- प्रतिमाह (2500 रुपये प्रतिमाह के यात्रा भत्ता+ बोनस + प्रोत्साहन - अतिरिक्त होगा)
- अतिरिक्त किसान खरीद प्रोत्साहन राशि भुगतान - न्यूनतम 20000 /- से 40000 /- मासिक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलता है।

अतिरिक्त सुविधा :-

- 1 किसान खरीद प्रोत्साहन राशि- 0.50 % से 2 % (संपूर्ण प्रखंड में कोई भी किसान सदस्य किसान गोल्ड कार्ड / किशन प्लेटिनम कार्डके माध्यम से किसी भी प्रकार के उत्पाद (जैसे मिट्टी जाँच, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, खनिज, कृषि उपकरण, नर्सरी प्लांट, ट्रैक्टर, वर्मी कंपोस्ट, अन्य कोई उत्पाद) की मंडी मित्र किसान सहायता केंद्र में खरीददारी करता है तो **प्रखंड परियोजना प्रबंधक** को किसान के खरीद पर 0.50 % से 2 % प्रोत्साहन राशि मिलता है

उदाहरण के लिए

आपके कार्य क्षेत्र में कुल लगभग 12 से 14 पंचायत होंगे

* प्रति पंचायत में किसान संख्या - 432 /-

* न्यूनतम प्रति पंचायत 36 किसान समूह आपके निगरानी में होगा।

* कुल किसान ग्रुप आपके निगरानी में होगा 36 किसान ग्रुप * 12 पंचायत = 432 किसान ग्रुप।

*प्रत्येक समूह में किसान की संख्या- 12

* कुल किसान 432 समूह * 12 किसान = 5184 किसान प्रति प्रखंड में।

* अगर प्रत्येक किसान कम से कम 1 एकड़ खेती करता है तो सभी किसानों का खेत मिला कर

कुल 5184 किसान * 1 एकड़ = कुल 5184 एकड़ में आपके प्रखंड में खेती होती है।

सलाना एक किसान धान और गेहू या फिर फल सब्जियां की फसल की खेती के लिए मंडी मित्र किसान सहायता केंद्र से लगभग 10000 /- की उत्पाद (जैसे मिट्टी जाँच, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, खनिज, कृषि उपकरण, नर्सरी प्लांट, वर्मी कंपोस्ट, अन्य कोई उत्पाद) की खरीददारी करता है तो आपके प्रखंड से मंडी मित्र से जुड़े किसानों

के द्वारा कुल खरीददारी 5184 * 10000 = 5,18,40,000 /- की खरीददारी होती है तो , एक प्रखंड परियोजना प्रबंधक की किसानों की खरीददारी पर कुल इंसेंटिव = 5,18,40,000 * 2 % = 10,36,800 /- सलाना महीने का 10,36,800 / 12 माह = 86,400/- प्रति माह कम से कम हर महीने अतिरिक्त आय होगा ।

अगर 1 प्रखंड के किसान सदस्य द्वारा किसान गोल्ड कार्ड / किसान प्लेटिनम कार्ड के माध्यम से 25 % किसान भी मंडी मित्र सहायता केंद्र से अपना सामान खरीदते है तो फिर भी 86,400 * 25% = 21600 /- प्रति माह कम से कम हर महीने अतिरिक्त आय प्रखंडपरियोजना प्रबंधक को होगा ।

2. प्रीमियम कंपनी उत्पाद बिक्री प्रोत्साहन राशि = 0.50 % (रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी, कोई अन्य प्रीमियम कंपनी उत्पाद पर प्रोत्साहन राशि मिलता है) ।
3. छः माह के प्रशिक्षण अवधि उपरांत कार्य मूल्यांकन में सफल पाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते में 10% - 20% वृद्धि ।
4. वार्षिक मूल वेतन के 30% तक का प्रदर्शन प्रोत्साहन वार्षिक ।
5. दुर्घटना बीमा 5 लाख ।
6. स्वयं और परिवार के लिए चिकित्सा बीमा कवर ।
7. 12 माह के उपरांत CPO लेवल के पोस्ट में प्रमोशन की सुविधा

सीटीसी अनुबंध-1

POST	BASIC+HRA +BONUS + EPF+ESIC	TA+ FIELD EXP	NET SALARY	OTH PRODUCT & SERVICES SALE INC %	PREMIUM PRODUCT SALE INCENTIVE %	GROUP CREATE INCENTIVE
BLOCK PROJECT MANAGER	18500	2500	21000	2 %	0.50 %	250 / CLUB GROUP

• Tds ,Pt & other applicable taxes as per govt ruls.

अनुबंध-2

IMPORTANT NOTICE	Salary / Payment T & C
<p>*Minimum 36 Gold club Farmer Group / 72 General club Farmer Group Per Panchayat Salahkar (MMS) Work Area.</p> <p>*Per Farmer Group Minimum 12 Farmer</p> <p>*Minimum 1000 Acre Agriculture Land For Cultivation Per Panchayat</p> <p>*Farmer And Land Registration Work Complete 6 Month</p> <p>*2 Gold Club Farmer Group Create And Soil Testing Registration within Internship Selection Duration.</p> <p>*145 General Club Farmer Group Per Month</p> <p>*Collection Centre Complete Setup 45 Days After Selection.</p> <p>*Per Collection Centre Minimum 500 Acre Agriculture Land For Cultivation.</p> <p>*Per Month Minimum 60 Village/ panchayat / block Level Farmer Training And Advisory Program Per (Mms) Work Area.</p> <p>*First Payment Increment After 6 Month 10 %</p> <p>* No Work Chart Complete No Monthly Payment Disbursement.</p> <p>* Monthly Salary Pay After Daily/ weekly /Monthly Work Chart Complete And Submit in office .</p> <p>* Company Any Time Transfer Other District, Block</p> <p>* 5 lakh Accidental Death And Disability insurance</p> <p>*Yearly Annual Performance Bonus 10 % to 30 % extra Pay for Basic Annual Salary .</p> <p>*Farmer And Land Registration Work Complete 6 Month</p> <p>* इंटरनशिप समय में जो कार्य आपको दिया गया है, अगर आप इंटरनशिप समय अवधि में अपने कार्य लच्छ पूरा नहीं कर पाते है, तो आपकी नियुक्ति को स्थाई नहीं की जाएगी, और आपकी नियुक्ति को रद्द कर के आपके स्थान पर वेटिंग लिस्ट में जिस अभियार्थी को रखा गया है उसकी नियुक्ति किया जायेगा।</p>	<p>Salary / Payment T & C</p> <p>D. 36 Farmer Group Per Panchayat</p> <p>E. Duration 6 Month</p> <p>F. Minimum- 7 Gold Farmer Group / 14 GCF Group Per Panchayat per month</p> <p>BPM Salary Payment Structure</p> <p>100% Work Complete - 100 % Payment Paid</p> <p>80%-100% Work Complete-100 % Payment Paid</p> <p>50% Work Complete -50 % Payment</p> <p>30% Work Complete – 30 % Payment</p> <p>*Note- Below 30% Work Complete No Salary Payment Only Incentive + Ta+ Field Exp pay</p> <p>* No work Report No salary paid</p>

. NOTE- 6 माह के प्रशिक्षण अवधि उपरांत कार्य मूल्यांकन में सफल पाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited के मानव संसाधन नियमावली के अनुसार लागू होंगे ।

Authorized Signatory

Nalima Kumar

DATE- 10/04/2026

Hr Manager Mandimitra-Ranchi-Ho

Amrinder Singh
Mandi Mitra Agriculture Digital
Solution And Trading Private Limited





MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited

Reg. Office :- Road No-01s ,Van Vrindavan Colony, Chirondi, Morabadi, Ranchi, Jharkhand, 834006

Cor. Off- Lal Nikatan, C.P. Thakur Path, Professor Colony, Shivpuri , Aatal Path, Patna, Bihar-80023

Website- <https://mandimitra.com/> , e-mail- mandimitraa@gmail.com, Helpline- 8986661888, 9430138062

Under Registered - Government Of India Ministry Of Micro, Small & Medium Enterprises

Government of India Ministry Of Corporate Affairs under the Company act 2013 (18 of 2013)

CIN NO- U01111JH2024PTC021920

MSME- UDYAM-JH-20-0003250

LETTER NO - 05 / MM/ 2026-2027

DATE- 10/04/2026

3- CLUSTER PROGRAM OFFICER

WORK SCHEDULE, RESPONSIBILITY & SALARY PAYOUT BENEFIT

कार्य अवधि - प्रतिदिन 8 से 9 घंटा

स्टेप 1- कृषि संबंधी दुकान से संपर्क कर सूची तैयार करना

1. पहले और दूसरा दिन में अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत **BLOCK PROJECT MANAGER** के साथ या अकेले कृषि संबंधी दुकान से संपर्क कर सूची तैयार करना और दुकानदार को मंडी मित्र के योजना और मंडी मित्र से जुड़कर कृषि दुकानदार कैसे अपना व्यवसाय को विकसित कर सकते हैं यह बताना।
2. कृषि दुकानदार को मंडी मित्र से जुड़ने के लिए क्या-क्या कागजात की जरूरत होगी और क्या-क्या प्रक्रिया है यह संपूर्ण जानकारी सभी दुकानदार को देना। जिस जिस दुकान पर बीपीएम / सलाहकार के द्वारा संपर्क किया जा रहा है उस दुकान का फोटो और वीडियो बनाकर ग्रुप में डालना।
3. अपने कार्य क्षेत्र के सभी प्रखंड में प्रखंड परियोजना प्रबंधक और पंचायत में पंचायत स्तर पर शिक्षित और अनुभवी सलाहकार का चयन प्रखंड परियोजना प्रबंधक के सहयोग से करना होगा।

स्टेप 2 - दुकान का चयन प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार से विचार विमर्श कर करना

4. तीसरा और चौथा दिन में अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत दुकानों में से वैसे दुकान का चयन प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार से विचार विमर्श कर करना जहां से किसानों को सभी सुविधा और सामान मिल सके और दुकानदार की वित्तीय स्थिति भी सही हो और उन दुकानदार का एग्रीमेंट पेपर का फार्म भरवाना और सभी कागजात को प्राप्त करना है। और दुकानदार के सभी एग्रीमेंट पेपर के फॉर्म और सभी कागजात का पीडीएफ बनाकर कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप में डालना होगा।
5. अगर पंचायतवार कृषि दुकान का चयन हो तो यह और भी अच्छा होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान को लाभ मिल सके और सलाहकार को भी दुकान पर निगरानी रखने और दुकान पर अपना समय देने में सुविधा होगा।

स्टेप 3- प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार के सहयोग से किसानों का बैठक करवाना

6. पांचवें से दसवें दिन तक में कार्यक्षेत्र में कार्यरत प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार के सहयोग से किसानों का बैठक करवाना और उन किसानों को सलाहकार के साथ मिलकर मंडी मित्र के बहुउद्देशीय लाभकारी योजनाओं के बारे में बताना। मंडी मित्र से किसान कैसे जुड़ सकते हैं इसके बारे में बताना मंडी मित्र के क्लब कार्ड बनवाने से किसान को क्या फायदा है इसके बारे में बताना।
7. किसानों का क्लब कार्ड बनवाने में सलाहकार को सहयोग करना। प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार के द्वारा किसानों का नियमित बैठक करवाना। प्रतिदिन कम से कम 1 प्रखंड परियोजना प्रबंधक और 2 सलाहकार के साथ उनके कार्य क्षेत्र में किसानों से मिलकर किसानों की समस्याओं को समझना और उनकी समस्याओं का समाधान करना या संस्थान के मध्यम से करवाना।
8. बीपीएम और उनके कार्य क्षेत्र में कार्यरत सभी सलाहकारों के द्वारा किसानों के बैठक का फोटो लेना / लेवाना होगा और वीडियो बनवाना होगा। किसानों के खेतों पर जाकर उनके फसल का निगरानी करते हुए वीडियो बनवाना होगा और सभी फोटो और वीडियो को ग्रुप में डालवाना होगा और किसानों के साथ किसी अन्य प्रकार की कोई समस्या है तो उनका एक विस्तृत वीडियो बनवाकर ग्रुप में डालवाना होगा।
9. प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सभी सलाहकार के द्वारा किसानों की जरूरत की सामग्री के बारे में किसानों को अवगत करवाना और किसानों को जो भी जरूरी सामान चाहिए उसका आर्डर प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार के माध्यम से कंपनी में

- लगवाना और प्रतिदिन सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकारों के साथ 1 घंटे का ऑनलाइन मीटिंग कर उनके समस्याओं का समाधान करना अपने कार्य क्षेत्र में सलाहकार को सहयोग करते हुए संस्थान के योजनाओं को किसानों तक पहुंचवाना
10. प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सभी सलाहकार को मिट्टी जांच हेतु मिट्टी का नमूना किसानों के द्वारा कैसे इकट्ठा करवाया जाए इसका प्रशिक्षण देना।
 11. प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सभी सलाहकारों के साथ सप्ताह में एक दिन नियमित बैठक करना होगा और उस बैठक की सभी विचार विमर्श और समस्याओं को एक बैठक पुस्तिका में अंकित करना होगा।
 12. प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार के माध्यम से किसानों के उपज का जांच करवा कर उनकी खरीदारी कर अनाज को तलवा कर गोदाम तक भिजवाना।
 13. कार्य क्षेत्र में कार्यरत सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार को सहयोग करते हुवे संस्थान के द्वारा सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार को जो दैनिक साप्ताहिक और मासिक कार्य लक्ष्य दिया गया है उनको पूरा करवाना
 14. प्रतिदिन सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार के कार्य रिपोर्ट को प्राप्त कर उनके अटेंडेंस बनाना।
 15. अगर कोई प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार कार्य नहीं कर रहे हैं तो उसकी सूचना अपने डीपीएम या संस्थान तक पहुंचाना होगा।
 16. अगर कोई प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार अपना दैनिक कार्य रिपोर्ट प्रतिदिन नहीं दे रहा है तो उस पर निगरानी रखना और प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार के अटेंडेंस को अनुपस्थित कर रिपोर्ट तैयार करना।
 17. प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार कार्य करने में असमर्थ हो तो पहले उनका सहयोग कर उनके समस्याओं का समाधान करने का कोशिश करना होगा। फिर भी प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार कार्य नहीं कर रहे हैं या कार्य करने में असमर्थ हो तो उनके जगह पर शिक्षित और अनुभवी प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार का चयन कर काम पर लगाना होगा।
 18. सप्ताह में एक दिन अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत मंडी मित्र किसान सहायता केंद्र पर जाकर उनके विचार विमर्श को लेना होगा अगर उनको किसी भी प्रकार की समस्याएं हो तो डीपीएम या संस्थान के स्तर पर उसका समाधान करना होगा।
 19. CPO के द्वारा सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार पर निगरानी रखना होगा अगर प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार के द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय अनियमित किया जा रहा है तो अभिलंब CPO के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसको सस्पेंड कर उसके कार्य पर रोक लगाया जाएगा।
 20. संस्थान के पास प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार के वित्तीय अनियमित करने की शिकायत प्राप्त होती है और उसमें CPO के द्वारा अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो संस्थान यह समझेगी की इसमें CPO की भी भागीदारी है और CPO, बीपीएम और सलाहकार पर संस्थान के द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
 21. अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार का दैनिक साप्ताहिक और मासिक कार्य रिपोर्ट तैयार कर डीपीएम और संस्थान को भेजना
 22. कार्यक्षेत्र में कार्यरत किसान सहायता केंद्र से उनके जरूरत के सामानों का आर्डर प्राप्त कर डीपीएम और कंपनी को सूचित करना
 23. CPO को अपना और अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार का कार्य रिपोर्ट या अन्य किसी भी प्रकार का कोई रिपोर्ट या सूचना अपने जिला में कार्यरत डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर एवं प्रधान कार्यालय को सूचना देने के लिए अधिकृत किया गया है।
 24. CPO को संस्थान के सभी आचार संहिता एवं नियमावली को पालन करना होगा अगर CPO के द्वारा आचार संहिता नियमावली का पालन नहीं किया जाएगा तो डीपीएम के माध्यम से CPO के ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
 25. सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार से संस्थान के आचार संहिता और नियमावली का पालन करवाना होगा अगर CPO के कार्य क्षेत्र में कार्यरत किसी भी प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार के द्वारा संस्थान के आचार संहिता और नियमावली के विरुद्ध जाकर कोई कार्य कर रहे हो तो उसकी सूचना डीपीएम और संस्थान को देते हुए प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार पर कार्रवाई का करने का अधिकार CPO को दिया जाता।
 26. कार्यक्षेत्र में कार्य कर रहे सभी सरकारी और निजी संस्थान जैसे की कृषि आदान पूर्ति वाले कंपनी, पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट की सुविधा देने वाले संस्थान, गोदाम, कृषि औजार की सुविधा प्रदाता, ट्रैक्टर, ट्रांसपोर्ट प्रदाता, कृषि हेतु प्रशिक्षण देने वाले संस्थान इत्यादि से संपर्क कर उनसे मंडी मित्र के साथ में मिलकर काम करने हेतु संपर्क कर एमओयू करना।
 27. संस्थान के विकास हेतु अपने कार्य क्षेत्र में सभी संवैधानिक और उचित कार्य करने की शक्ति प्रदान की जाती है जिससे संस्थान और इससे जुड़े किसानों का लाभ हो सके , और किसानो तक अधिक से अधिक सुविधा पहुंचा कर किसानो के खर्च को कम कर उनकी आय को बढ़ाया जा सके और मंडी मित्र के आय में बढ़ोतरी हो सके।
 28. उपरोक्त किसी भी कार्य में सलाहकार को समस्या हो रही हो तो वह अपनी समस्या को अपने डीपीएम या कंपनी को सूचित कर उस समस्या का समाधान कर ले। और कहीं पर आपको अगर सहयोग की जरूरत हो तो अपने डीपीएम , RPM या कंपनी से सहयोग लेकर अपने कार्य को सुचारू ढंग से करें अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो आप संस्थान के एचआर हेड से संपर्क कर अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

CLUSTER PROGRAM OFFICER

SALARY PAYOUT BENEFIT

- कार्य क्षेत्र - 5 से 8 प्रखंड में कार्य करना होगा एवं उसमें आने वाले सभी प्रखंड और पंचायत आपके कार्य क्षेत्र में आएगा
- कार्य विवरण - कार्यक्षेत्र में उपस्थित सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक / मंडी मित्र सलाहकार सह प्रशिक्षण केंद्र संचालक और मंडी मित्र किसान सहायता केंद्रपर निगरानी रखना और कंपनी द्वारा निर्धारित मासिक कार्य लक्ष्य को पूरा करना और सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार से पूरा करवाना।
- न्यूनतम मूल मासिक वेतन भुगतान- आपका सीटीसी अनुबंध-1 और अनुबंध-2 के अनुसार होगा।
- प्रारंभिक 6 माह के प्रशिक्षण अवधि के दौरान रु. 20000 /- प्रतिमाह (5000 रुपये प्रतिमाह के यात्रा भत्ता+ बोनस + प्रोत्साहन - अतिरिक्त होगा)
- अतिरिक्त किसान खरीद प्रोत्साहन राशि भुगतान - न्यूनतम 20000 /- से 40000 /- मासिक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलता है।

अतिरिक्त सुविधा :-

- 1 किसान खरीद प्रोत्साहन राशि – 0.50 % (संपूर्ण प्रखंड में कोई भी किसान सदस्य किसान गोल्ड कार्ड / किशन प्लेटिनम कार्ड के माध्यम से किसी भी प्रकार के उत्पाद (जैसे मिट्टी जाँच, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, खनिज, कृषि उपकरण, नर्सरी प्लांट, ट्रैक्टर, वर्मी कंपोस्ट, अन्य कोई उत्पाद) की मंडी मित्र किसान सहायता केंद्र में करता है तो क्लस्टर परियोजना प्रबंधक को किसान के खरीद पर 0.50 % प्रोत्साहन राशि मिलता है

उदाहरण के लिए

आपके कार्य क्षेत्र में कुल लगभग 5 से 8 प्रखंड होंगे

* प्रति पंचायत में किसान संख्या - 432 /-

* न्यूनतम प्रति पंचायत 36 किसान समूह आपके निगरानी में होगा।

* कुल किसान ग्रुप आपके निगरानी में होगा 36 किसान ग्रुप * 12 पंचायत = 432 किसान ग्रुप।

*प्रत्येक समूह में किसान की संख्या- 12

* कुल किसान 432 समूह * 12 किसान = 5184 किसान प्रति प्रखंड में।

आपके कार्य क्षेत्र में कुल 5184 किसान * 5 प्रखंड = 25920 किसान प्रति 5 प्रखंड में।

* अगर प्रत्येक किसान कम से कम 1 एकड़ खेती करता है तो सभी किसानों का खेत मिला कर

कुल 25920 किसान * 1 एकड़ = कुल 25920 एकड़ में आपके प्रखंड में खेती होती है।

सलाना एक किसान धान और गेहू या फिर फल सब्जियां की फसल की खेती के लिए मंडी मित्र किसान सहायता केंद्र से लगभग 10000 /- की उत्पाद (जैसे मिट्टी जाँच, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, खनिज, कृषि उपकरण, नर्सरी प्लांट, वर्मी कंपोस्ट, अन्य कोई उत्पाद) की खरीददारी करता है तो आपके प्रखंड से मंडी मित्र से जुड़े किसानों के द्वारा कुल खरीददारी 25920 * 10000 = 25, 92, 00000 /- की खरीददारी होती है तो , एक क्लस्टर परियोजना प्रबंधक की किसानों की खरीददारी पर कुल इंसेंटिव = 25, 92, 00000 * 0.50 % = 12,96,000 /- सलाना

महीने का 12,96,000 / 12 माह = 108000 प्रति माह कम से कम हर महीने अतिरिक्त आय होगा।

अगर 5 प्रखंड के किसान सदस्य द्वारा किसान गोल्ड कार्ड/ किसान प्लेटिनम कार्ड के माध्यम से 25 % किसान भी मंडी मित्र सहायता केंद्र से अपना सामान खरीदते हैं तो फिर भी 108000* 25% = 27000 / - प्रति माह कम से कम हर महीने अतिरिक्त आय क्लस्टरपरियोजना प्रबंधक को होगा।

2. प्रीमियम कंपनी उत्पाद बिक्री प्रोत्साहन राशि = 0.25 % (रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया , डीएपी, एमओपी, कोई अन्य प्रीमियम कंपनी उत्पाद पर प्रोत्साहन राशि मिलता है) ।
3. छः माह के प्रशिक्षण अवधि उपरांत कार्य मूल्यांकन में सफल पाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते में 10% - 20% वृद्धि ।
4. वार्षिक मूल वेतन के 30% तक का प्रदर्शन प्रोत्साहन वार्षिक ।
5. दुर्घटना बीमा 5 लाख ।
6. स्वयं और परिवार के लिए चिकित्सा बीमा कवर ।
7. 12 माह के उपरांत DISTRICT PROJECT MANAGER लेवल के पोस्ट में प्रमोशन

सीटीसी अनुबंध-1

POST	BASIC+HRA +BONUS + EPF+ESIC	TA+ FIELD EXP	NET SALARY	OTH PRODUCT & SERVICES SALE INC %	PREMIUM PRODUCT SALE INCENTIVE %	GROUP CREATE INCENTIVE
CLUSTER PROGRAM OFFICER	20000	5000	25000	0.50 %	0.25 %	130 / CLUB GROUP

- Tds ,Pt & other applicable taxes as per govt ruls.

अनुबंध-2

IMPORTANT NOTICE	Salary / Payment T & C
<p>*Minimum 36 Gold club Farmer Group / 72 General club Farmer Group Per Panchayat Salahkar (MMS) Work Area.</p> <p>*Per Farmer Group Minimum 12 Farmer</p> <p>*Minimum 1000 Acre Agriculture Land For Cultivation Per Panchayat</p> <p>*Farmer And Land Registration Work Complete 6 Month</p> <p>*2 Gold Club Farmer Group Create And Soil Testing Registration within Internship Selection Duration.</p> <p>*145 General Club Farmer Group Per Month</p> <p>*Collection Centre Complete Setup 45 Days After Selection.</p> <p>*Per Collection Centre Minimum 500 Acre Agriculture Land For Cultivation.</p> <p>*Per Month Minimum 40 Village/ panchayat / block Level Farmer Training And Advisory Program Per (Mms) Work Area.</p> <p>*First Payment Increment After 6 Month 10 %</p> <p>*No Work Chart Complete No Monthly Payment Disbursement.</p> <p>* Monthly Salary Pay After Daily/ weekly /Monthly Work Chart Complete And Submit in office .</p> <p>* Company Any Time Transfer Other District, Block</p> <p>* 5 lakh Accidental Death And Disability insurance</p> <p>*Yearly Annual Performance Bonus 10 % to 30 % extra Pay for Basic Annual Salary .</p> <p>*Farmer And Land Registration Work Complete 6 Month</p> <p>* इंटरनशिप समय में जो कार्य आपको दिया गया है, अगर आप इंटरनशिप समय अवधि में अपने कार्य लच्छ पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आपकी नियुक्ति को स्थाई नहीं की जाएगी, और आपकी नियुक्ति को रद्द कर के आपके स्थान पर वेटिंग लिस्ट में जिस अभियार्थी को रखा गया है उसकी नियुक्ति किया जायेगा।</p>	<p>Salary / Payment T & C</p> <p>G. 36 Farmer Group Per Panchayat</p> <p>H. Duration 6 Month</p> <p>I. Minimum- 7 Gold Farmer Group / 14 GCF Group Per Panchayat per month</p> <p>CPO Salary Payment Structure</p> <p>50%-100% Work Complete-100 % Payment Paid</p> <p>*Note- Below 30% Work Complete No Salary Payment Only Incentive + Ta+ Field Exp pay</p> <p>* No work Report No salary paid</p>

Note- 6 माह के प्रशिक्षण अवधि उपरांत कार्य मूल्यांकन में सफल पाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited के मानव संसाधन नियमावली के अनुसार लागू होंगे। की सुविधा

Authorized Signatory

Nalima Kumar

DATE- 10/04/2026



Hr Manager Mandimitra-Ranchi-Ho

Amr Kr Singh
Mandi Mitra Agriculture Digital
Solution And Trading Private Limited



MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited

Reg. Office :- Road No-01s ,Van Vrindavan Colony, Chirondi, Morabadi, Ranchi, Jharkhand, 834006

Cor. Off- Lal Nikatan, C.P. Thakur Path, Professor Colony, Shivpuri , Aatal Path, Patna, Bihar-800023

Website- <https://mandimitra.com/> , e-mail- mandimitraa@gmail.com, Helpline- 8986661888, 9430138062

Under Registered - Government Of India Ministry Of Micro, Small & Medium Enterprises

Government of India Ministry Of Corporate Affairs under the Company act 2013 (18 of 2013)

CIN NO- U01111JH2024PTC021920

MSME- UDYAM-JH-20-0003250

LETTER NO - 05 / MM/ 2026-2027

DATE- 10/04/2026

4 DISTRICT PROJECT MANAGER

WORK SCHEDULE, RESPONSIBILITY & SALARY PAYOUT BENEFIT

कार्य अवधि - प्रतिदिन 8 से 9 घंटा

स्टेप 1- कृषि संबंधी दुकान से संपर्क कर सूची तैयार करना

1. पहले और दूसरा दिन में अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत CPO / BLOCK PROJECT MANAGER के साथ या अकेले कृषि संबंधी दुकान से संपर्क कर सूची तैयार करना और दुकानदार को मंडी मित्र के योजना और मंडी मित्र से जुड़कर कृषि दुकानदार कैसे अपना व्यवसाय को विकसित कर सकते हैं यह बताना।
2. कृषि दुकानदार को मंडी मित्र से जुड़ने के लिए क्या-क्या कागजात की जरूरत होगी और क्या-क्या प्रक्रिया है यह संपूर्ण जानकारी सभी दुकानदार को देना। जिस जिस दुकान पर बीपीएम / सलाहकार के द्वारा संपर्क किया जा रहा है उस दुकान का फोटो और वीडियो बनाकर ग्रुप में डालना।
3. अपने कार्य क्षेत्र के सभी प्रखंड में प्रखंड परियोजना प्रबंधक और पंचायत में पंचायत स्तर पर शिक्षित और अनुभवी सलाहकार का चयन CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक के सहयोग से करना होगा।

स्टेप 2 - दुकान का चयन CPO/ प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार से विचार विमर्श कर करना

4. तीसरा और चौथा दिन में अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत दुकानों में से वैसे दुकान का चयन CPO/ प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार से विचार विमर्श कर करना जहां से किसानों को सभी सुविधा और सामान मिल सके और दुकानदार की वित्तीय स्थिति भी सही हो और उन दुकानदार का एग्रीमेंट पेपर का फार्म भरवाना और सभी कागजात को प्राप्त करना है। और दुकानदार के सभी एग्रीमेंट पेपर के फॉर्म और सभी कागजात का पीडीएफ बनाकर कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप में डालना होगा।
5. अगर पंचायतवार कृषि दुकान का चयन हो तो यह और भी अच्छा होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान को लाभ मिल सके और सलाहकार को भी दुकान पर निगरानी रखने और दुकान पर अपना समय देने में सुविधा होगा।

स्टेप 3- CPO/ प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार के सहयोग से किसानों का बैठक करवाना

6. पांचवें से दसवें दिन तक में कार्यक्षेत्र में कार्यरत CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार के सहयोग से किसानों का बैठक करवाना और उन किसानों को सलाहकार के साथ मिलकर मंडी मित्र के बहुउद्देशीय लाभकारी योजनाओं के बारे में बताना। मंडी मित्र से किसान कैसे जुड़ सकते हैं इसके बारे में बताना मंडी मित्र के क्लब कार्ड बनवाने से किसान को क्या फायदा है इसके बारे में बताना।
7. किसानों का क्लब कार्ड बनवाने में सलाहकार को सहयोग करना। CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार के द्वारा किसानों का नियमित बैठक करवाना। प्रतिदिन कम से कम 1 प्रखंड परियोजना प्रबंधक और 2 सलाहकार के साथ उनके कार्य क्षेत्र में किसानों से मिलकर किसानों की समस्याओं को समझना और उनकी समस्याओं का समाधान करना या संस्थान के मध्यम से करवाना।
8. CPO/ बीपीएम और उनके कार्य क्षेत्र में कार्यरत सभी सलाहकारों के द्वारा किसानों के बैठक का फोटो लेना / लेवाना होगा और वीडियो बनवाना होगा। किसानों के खेतों पर जाकर उनके फसल का निगरानी करते हुए वीडियो बनवाना होगा और सभी फोटो और वीडियो को ग्रुप में डालवाना होगा और किसानों के साथ किसी अन्य प्रकार की कोई समस्या है तो उनका एक विस्तृत वीडियो बनवाकर ग्रुप में डालवाना होगा।
9. CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सभी सलाहकार के द्वारा किसानों की जरूरत की सामग्री के बारे में किसानों को अवगत करवाना और किसानों को जो भी जरूरी सामान चाहिए उसका आर्डर CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार के

माध्यम से कंपनी में लगवाना और प्रतिदिन सभी **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकारों के साथ 1 घंटे का ऑनलाइन मीटिंग कर उनके समस्याओं का समाधान करना अपने कार्य क्षेत्र में सलाहकार को सहयोग करते हुए संस्थान के योजनाओं को किसानों तक पहुंचवाना

10. **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सभी सलाहकार को मिट्टी जांच हेतु मिट्टी का नमूना किसानों के द्वारा कैसे इकट्ठा करवाया जाए इसका प्रशिक्षण देना।
11. **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सभी सलाहकारों के साथ सप्ताह में एक दिन नियमित बैठक करना होगा और उस बैठक की सभी विचार विमर्श और समस्याओं को एक बैठक पुस्तिका में अंकित करना होगा।
12. **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार के माध्यम से किसानों के उपज का जांच करवा कर उनकी खरीदारी कर अनाज को तलवा कर गोदाम तक भिजवाना।
13. कार्य क्षेत्र में कार्यरत सभी **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार को सहयोग करते हुवे संस्थान के द्वारा सभी **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार को जो दैनिक साप्ताहिक और मासिक कार्य लक्ष्य दिया गया है उनको पूरा करवाना
14. प्रतिदिन सभी **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार के कार्य रिपोर्ट को प्राप्त कर उनके अटेंडेंस बनाना।
15. अगर कोई **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार कार्य नहीं कर रहे हैं तो उसकी सूचना अपने डीपीएम या संस्थान तक पहुंचाना होगा।
16. अगर कोई **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार अपना दैनिक कार्य रिपोर्ट प्रतिदिन नहीं दे रहा है तो उस पर निगरानी रखना और **प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार के अटेंडेंस को अनुपस्थित कर रिपोर्ट तैयार करना।
17. **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार कार्य करने में असमर्थ हो तो पहले उनका सहयोग कर उनके समस्याओं का समाधान करने का कोशिश करना होगा। फिर भी **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार कार्य नहीं कर रहे हैं या कार्य करने में असमर्थ हो तो उनके जगह पर शिक्षित और अनुभवी **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार का चयन कर काम पर लगाना होगा।
18. सप्ताह में एक दिन अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत मंडी मित्र किसान सहायता केंद्र पर जाकर उनके विचार विमर्श को लेना होगा अगर उनको किसी भी प्रकार की समस्याएं हो तो डीपीएम या संस्थान के स्तर पर उसका समाधान करना होगा।
19. **DPM** के द्वारा सभी **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार पर निगरानी रखना होगा अगर **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार के द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय अनियमित किया जा रहा है तो अभिलंब **DPM** के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसको सस्पेंड कर उसके कार्य पर रोक लगाया जाएगा।
20. संस्थान के पास **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार के वित्तीय अनियमित करने की शिकायत प्राप्त होती है और उसमें **DPM** के द्वारा अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो संस्थान यह समझेगी की इसमें **DPM** की भी भागीदारी है और **DPM/ CPO**, बीपीएम और सलाहकार पर संस्थान के द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
21. अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत सभी **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार का दैनिक साप्ताहिक और मासिक कार्य रिपोर्ट तैयार कर **RPM** और संस्थान को भेजना
22. कार्यक्षेत्र में कार्यरत किसान सहायता केंद्र से उनके जरूरत के सामानों का आर्डर प्राप्त कर **RPM** और कंपनी को सूचित करना
23. **DPM** को अपना और अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार का कार्य रिपोर्ट या अन्य किसी भी प्रकार का कोई रिपोर्ट या सूचना अपने जिला में कार्यरत **RPM** एवं प्रधान कार्यालय को सूचना देने के लिए अधिकृत किया गया है।
24. **DPM** को संस्थान के सभी आचार संहिता एवं नियमावली को पालन करना होगा अगर **DPM** के द्वारा आचार संहिता नियमावली का पालन नहीं किया जाएगा तो **RPM** के माध्यम से **DPM** के ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
25. सभी **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार से संस्थान के आचार संहिता और नियमावली का पालन करवाना होगा अगर **DPM** के कार्य क्षेत्र में कार्यरत किसी भी **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार के द्वारा संस्थान के आचार संहिता और नियमावली के विरुद्ध जाकर कोई कार्य कर रहे हो तो उसकी सूचना डीपीएम और संस्थान को देते हुए **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार पर कार्रवाई का करने का अधिकार **DPM** को दिया जाता।
26. कार्यक्षेत्र में कार्य कर रहे सभी सरकारी और निजी संस्थान जैसे की कृषि आदान पूर्ति वाले कंपनी, पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट की सुविधा देने वाले संस्थान, गोदाम, कृषि औजार की सुविधा प्रदाता, ट्रैक्टर, ट्रांसपोर्ट प्रदाता, कृषि हेतु प्रशिक्षण देने वाले संस्थान इत्यादि से संपर्क कर उनसे मंडी मित्र के साथ में मिलकर काम करने हेतु संपर्क कर एमओयू करना।

27. संस्थान के विकास हेतु अपने कार्य क्षेत्र में सभी संवैधानिक और उचित कार्य करने की शक्ति प्रदान की जाती है जिससे संस्थान और इससे जुड़े किसानों का लाभ हो सके , और किसानों तक अधिक से अधिक सुविधा पहुंचा कर किसानों के खर्च को कम कर उनकी आय को बढ़ाया जा सके और मंडी मित्र के आय में बढ़ोतरी हो सके।
28. उपरोक्त किसी भी कार्य में सलाहकार को समस्या हो रही हो तो वह अपनी समस्या को अपने RPM या कंपनी को सूचित कर उस समस्या का समाधान कर ले। और कहीं पर आपको अगर सहयोग की जरूरत हो तो अपने RPM या कंपनी से सहयोग लेकर अपने कार्य को सुचारू ढंग से करें अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो आप संस्थान के एचआर हेड से संपर्क कर अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

DISTRICT PROJECT MANAGER

SALARY PAYOUT BENEFIT

- कार्य क्षेत्र – 1 से 2 सम्पूर्ण जिला एवं उसमें आने वाले सभी प्रखंड और पंचायत आपके कार्य क्षेत्र में आएगा
- कार्य विवरण - कार्यक्षेत्र में उपस्थित सभी क्लस्टर परियोजना ऑफिसर / प्रखंड परियोजना प्रबंधक / मंडी मित्र सलाहकार सह प्रशिक्षण केंद्र संचालक और मंडी मित्र किसान सहायता केंद्र पर निगरानी रखना और कंपनी द्वारा निर्धारित मासिक कार्य लक्ष्य को पूरा करना और सभी से पूरा करवाना।
- न्यूनतम मूल मासिक वेतन भुगतान- आपका सीटीसी अनुबंध-1 और अनुबंध-2 के अनुसार होगा।
- प्रारंभिक 6 माह के प्रशिक्षण अवधि के दौरान रु. 25000 /- प्रतिमाह (5000 रुपये प्रतिमाह के यात्रा भत्ता+ बोनस + प्रोत्साहन - अतिरिक्त होगा)
- अतिरिक्त किसान खरीद प्रोत्साहन राशि भुगतान - न्यूनतम 50000 /- से 65000 /- मासिक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलता है।

अतिरिक्त सुविधा :-

- 1 किसान खरीद प्रोत्साहन राशि – 0.50 % (संपूर्ण जिला में कोई भी किसान सदस्य किसान गोल्ड कार्ड / किशन प्लेटिनम कार्ड के माध्यम से किसी भी प्रकार के उत्पाद (जैसे मिट्टी जाँच, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, खनिज, कृषि उपकरण, नर्सरी प्लांट, ट्रैक्टर, वर्मी कंपोस्ट, अन्य कोई उत्पाद) की मंडी मित्र किसान सहायता केंद्रमें करता है तो **जिला परियोजना प्रबंधक** को किसान के खरीद पर 0.50 % प्रोत्साहन राशि मिलता है

उदाहरण के लिए

आपके कार्य क्षेत्र में कुल लगभग 12 से 15 प्रखंड होंगे

* प्रति पंचायत में किसान संख्या - 432 /-

* न्यूनतम प्रति पंचायत 36 किसान समूह आपके निगरानी में होगा।

* कुल किसान ग्रुप आपके निगरानी में होगा 36 किसान ग्रुप * 12 पंचायत = 432 किसान ग्रुप।

*प्रत्येक समूह में किसान की संख्या- 12

* कुल किसान 432 समूह * 12 किसान = 5184 किसान प्रति प्रखंड में।

आपके कार्य क्षेत्र में कुल 5184 किसान * 12 प्रखंड = 62208 किसान प्रति 12 प्रखंड में।

* अगर प्रत्येक किसान कम से कम 1 एकड़ खेती करता है तो सभी किसानों का खेत मिला कर

कुल 62208 किसान * 1 एकड़ = कुल 62208 एकड़ में आपके जिला में खेती होती है

सलाना एक किसान धान और गेहू या फिर फल सब्जियां की फसल की खेती के लिए मंडी मित्र किसान सहायता केंद्र से लगभग 10000 /- की उत्पाद (जैसे मिट्टी जाँच, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, खनिज, कृषि उपकरण, नर्सरी प्लांट, वर्मी कंपोस्ट, अन्य कोई उत्पाद) की खरीददारी करता है तो आपके जिला से मंडी मित्र से जुड़े किसानों

के द्वारा कुल खरीददारी 62208 * 10000 = 62,20,80000 /- की खरीददारी होती है तो , एक **जिला परियोजना प्रबंधक** की किसानों की खरीददारी पर कुल इंसेंटिव = 62,20,80000 * 0.50 % = 31,10,400 /- सलाना महीने का 31,10,400 / 12 माह = 2,59,200 प्रति माह कम से कम हर महीने अतिरिक्त आय होगा ।

अगर 12 प्रखंड के किसानसदस्य द्वारा किसान गोल्ड कार्ड/ किसान प्लेटिनम कार्ड के माध्यम से 25 % किसान भी मंडी मित्र सहायता केंद्र से अपना सामान खरीदते है तो फिर भी 2,59,200 * 25% = 64800 /- प्रति माह कम से कम हर महीने अतिरिक्त आय जिलापरियोजना प्रबंधक को होगा।

- 2 प्रीमियम कंपनी उत्पाद बिक्री प्रोत्साहन राशि = 0.25 % (रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी, कोई अन्य प्रीमियम कंपनी उत्पाद पर प्रोत्साहन राशि मिलता है) ।
- 3 छः माह के प्रशिक्षण अवधि उपरांत कार्य मूल्यांकन में सफल पाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते में 10% - 20% वृद्धि ।
4. वार्षिक मूल वेतन के 30% तक का प्रदर्शन प्रोत्साहन वार्षिक ।
5. दुर्घटना बीमा 5 लाख ।
6. स्वयं और परिवार के लिए चिकित्सा बीमा कवर ।
7. 12 माह के उपरांत **REGIONAL PROJECT MANAGER** लेवल के पोस्ट में प्रमोशन की सुविधा

सीटीसी अनुबंध-1

POST	BASIC+HRA +BONUS + EPF+ESIC	TA+ FIELD EXP	NET SALARY	OTH PRODUCT & SERVICES SALE INC %	PREMIUM PRODUCT SALE INCENTIVE %	GROUP CREATE INCENTIVE
DISTRICT PROJECT MANAGER	25000	5000	30000	0.50 %	0.25 %	120 / CLUB GROUP

• Tds ,Pt & other applicable taxes as per govt ruls.

अनुबंध-2

IMPORTANT NOTICE	Salary / Payment T & C
<p>*Minimum 36 Gold club Farmer Group / 72 General club Farmer Group Per Panchayat Salahkar (MMS) Work Area.</p> <p>*Per Farmer Group Minimum 12 Farmer</p> <p>*Minimum 1000 Acre Agriculture Land For Cultivation Per Panchayat</p> <p>*Farmer And Land Registration Work Complete 6 Month</p> <p>*2 Gold Club Farmer Group Create And Soil Testing Registration within Internship Selection Duration.</p> <p>*145 General Club Farmer Group Per Month</p> <p>*Collection Centre Complete Setup 45 Days After Selection.</p> <p>*Per Collection Centre Minimum 500 Acre Agriculture Land For Cultivation.</p> <p>*Per Month Minimum 40 Village/ panchayat / block Level Farmer Training And Advisory Program Per (Mms) Work Area.</p> <p>*First Payment Increment After 6 Month 10 %</p> <p>* No Work Chart Complete No Monthly Payment Disbursement.</p> <p>* Monthly Salary Pay After Daily/ weekly /Monthly Work Chart Complete And Submit in office .</p> <p>* Company Any Time Transfer Other District, Block</p> <p>* 5 lakh Accidental Death And Disability insurance</p> <p>*Yearly Annual Performance Bonus 10 % to 30 % extra Pay for Basic Annual Salary .</p> <p>*Farmer And Land Registration Work Complete 6 Month</p> <p>* इंटरनेशिप समय में जो कार्य आपको दिया गया है, अगर आप इंटरनेशिप समय अवधि में अपने कार्य लच्छ पूरा नहीं कर पाते है, तो आपकी नियुक्ति को स्थाई नहीं की जाएगी, और आपकी नियुक्ति को रद्द कर के आपके स्थान पर वेटिंग लिस्ट में जिस अभियार्थी को रखा गया है उसकी नियुक्ति किया जायेगा।</p>	<p>Salary / Payment T & C</p> <p>J. 36 Farmer Group Per Panchayat</p> <p>K. Duration 6 Month</p> <p>L. Minimum- 7 Gold Farmer Group / 14 GCF Group Per Panchayat per month</p> <p>DPM Salary Payment Structure</p> <p>50%-100% Work Complete–100 % Payment Paid</p> <p>*Note- Below 30% Work Complete No Salary Payment Only Incentive + Ta+ Field Exp pay</p> <p>* No work Report No salary paid</p>

Note- 6 माह के प्रशिक्षण अवधि उपरांत कार्य मूल्यांकन में सफल पाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited के मानव संसाधन नियमावली के अनुसार लागू होंगे ।

Authorized Signatory
Nalma Kumar



Hr Manager Mandimitra-Ranchi-Ho
Amit Kr Singh
Mandi Mitra Agriculture Digital
Solution And Trading Private Limited